29 सूरए अन अनक़बूत

आयत 1 से आयत 5 तक का तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 1

आयत का अनुवाद:
"अलिफ़ लाम मीम"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
"अलिफ़ लाम मीम" शब्द एक कूट वाक्य है जिसे किसी निश्चित अर्थ में परिभाषित नहीं किया गया है।

हेतु (Reason):
इस आयत में कोई स्पष्ट सूचना या संदर्भ नहीं दिया गया है। यह आयत केवल कुछ कूट शब्दों का उपयोग करती है, जिसका अर्थ कोई स्पष्ट प्रमाण या प्रमाणिकता से नहीं जुड़ा हुआ है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में प्रमेय (वस्तु का ज्ञान) हमेशा स्पष्ट और तार्किक आधार पर होता है, जैसे कि गीता में प्रत्येक श्लोक का उद्देश्य है लोगों को तात्त्विक ज्ञान देना। यहाँ "अलिफ़ लाम मीम" का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत प्रमेय के सिद्धांत का पालन नहीं करती क्योंकि यह संदर्भविहीन और अस्पष्ट है।

आयत 2

आयत का अनुवाद:
"क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि (सिर्फ़) इतना कह देने से कि हम ईमान लाए छोड़ दिए जाएँगे और उनका इम्तेहान न लिया जाएगा?"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि ईश्वर केवल कथन से लोगों को छोड़ नहीं देता और उनका परीक्षण करता है।

हेतु (Reason):
इस आयत में यह बताया गया है कि इम्तेहान के बिना कोई विश्वास सच्चा नहीं हो सकता, लेकिन इस पर कोई ऐतिहासिक या अनुभवजन्य प्रमाण नहीं दिया गया।

उदाहरण (Example):
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन और मार्गदर्शन सभी के लिए उपलब्ध है (अध्याय 9, श्लोक 22)। यहाँ पर भी कोई समानताएँ हैं, लेकिन यह आयत किसी सार्वभौमिक सत्य के रूप में नहीं प्रस्तुत की जाती।

निगमन (Conclusion):
यह आयत केवल विश्वास की सत्यता की ओर इशारा करती है, लेकिन इसे प्रमाण से समर्थन प्राप्त नहीं होता।

आयत 3

आयत का अनुवाद:
"और हमने तो उन लोगों का भी इम्तेहान लिया जो उनसे पहले गुज़र गए, ग़रज़ ख़ुदा उन लोगों को जो सच्चे (दिल से इमान लाए) हैं यक़ीनन अलहाएदा देखेगा और झूठों को भी (अलहाएदा) ज़रुर देखेगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
ईश्वर सभी लोगों के इम्तेहान के बाद ही सच्चे और झूठे को अलग करेगा।

हेतु (Reason):
यह आयत धर्म के लिए परीक्षा का कार्य सिद्ध करती है, लेकिन यह केवल एक सामान्य सिद्धांत है, जिसको किसी सार्वभौमिक या ऐतिहासिक उदाहरण से प्रमाणित नहीं किया गया।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से वेदांत में, व्यक्ति के कर्मों का फल मिलना एक सामान्य सिद्धांत है, लेकिन इसे केवल इस तरह के सामान्य कथन से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

निगमन (Conclusion):
यह आयत व्याप्ति के सिद्धांत का पालन नहीं करती क्योंकि इसका प्रमाणिक आधार कमजोर है और अनुभवजन्य दृष्टिकोण से कोई ठोस उदाहरण नहीं दिया गया।

आयत 4

आयत का अनुवाद:
"क्या जो लोग बुरे बुरे काम करते हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि वह हमसे (बचकर) निकल जाएँगे?"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बुरे कर्म करने वालों के बारे में कहती है कि वे बचकर नहीं निकल सकते।

हेतु (Reason):
यह तर्क बुरे कर्मों की सजा को निर्दिष्ट करता है, लेकिन यह धर्म के लिए सर्वमान्य सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता। भारतीय दर्शन में कर्म के फल को अनेक दृष्टिकोणों से समझा जाता है (जैसे न्याय दर्शन, कर्म सिद्धांत)।

उदाहरण (Example):
 कर्मफल का सिद्धांत गीता में साफतौर पर दिया गया है (अध्याय 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत केवल एक सामान्य निष्कर्ष देती है, जो तर्क और प्रमाण से समर्थन प्राप्त नहीं करती।

आयत 5

आयत का अनुवाद:
 "जो शख़्स ख़ुदा से मिलने (क़यामत के आने) की उम्मीद रखता है तो (समझ रखे कि) ख़ुदा की (मुक़र्रर की हुयी) मीयाद ज़रुर आने वाली है और वह (सबकी) सुनता (और) जानता है।"

चुना गया न्याय तत्व:
 अनुमान (Anumana)

विश्लेषण और आलोचना:
 प्रतिज्ञा (Proposition):
 ईश्वर से मिलने की उम्मीद रखने वालों के लिए क़यामत निश्चित है।

हेतु (Reason):
 यह आयत क़यामत के आने का दावा करती है, लेकिन इसके लिए कोई वैज्ञानिक या अनुभवजन्य प्रमाण नहीं दिया गया।

उदाहरण (Example):
 न्याय दर्शन में यह कहा जाता है कि किसी भी घटना का प्रमाण होना चाहिए, न कि केवल विश्वास के आधार पर कोई कथन किया जाए।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत केवल विश्वास पर आधारित है और अनुभवजन्य या तर्कसंगत प्रमाण के बिना क़यामत के आने का दावा करती है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
1	प्रमेय	संदर्भविहीन और अस्पष्ट शब्द, कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं।
2	प्रमाण	इम्तेहान के बिना कोई विश्वास सच्चा नहीं हो सकता, लेकिन कोई प्रमाण नहीं।
3	व्याप्ति	कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, केवल सामान्य सिद्धांत।
4	हेतु	केवल एक सामान्य निष्कर्ष, तर्क और प्रमाण से समर्थन प्राप्त नहीं।
5	अनुमान	क़यामत का दावा विश्वास के आधार पर, अनुभवजन्य प्रमाण नहीं।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में सत्य और विश्वास के बारे में जो दावे किए गए हैं, वे तार्किक दृष्टिकोण से कमजोर प्रतीत होते हैं। इन आयतों में तर्क, प्रमाण और अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं।

आयत 6 से आयत 10 तक का तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 6

आयत का अनुवाद:
"और जो शख़्स (इबादत में) कोशिश करता है तो बस अपने ही वास्ते कोशिश करता है (क्योंकि) इसमें तो शक ही नहीं कि ख़ुदा सारे जहाँन (की इबादत) से बेनियाज़ है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि इबादत का लाभ केवल व्यक्ति को ही होता है क्योंकि ईश्वर किसी की इबादत से बेनियाज़ है।

हेतु (Reason):
यह तर्क ईश्वर की स्वायत्तता और दूसरों से निर्भर न होने का दावा करता है, लेकिन इसका प्रमाण या कोई अनुभवजन्य आधार नहीं दिया गया।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में ईश्वर का स्वरूप और उसका संसार से संबंध स्पष्ट रूप से वर्णित है। उदाहरण के लिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि "सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज" (अध्याय 18, श्लोक 66), जो ईश्वर के सभी कृत्यों में सक्रियता और संबंध को दर्शाता है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत प्रमेय के सिद्धांत का पालन नहीं करती क्योंकि यह केवल एक सामान्य कथन है, बिना किसी प्रमाण या उदाहरण के।

आयत 7

आयत का अनुवाद:
"और जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए हम यक़ीनन उनके गुनाहों की तरफ़ से क्फ्फारा क़रार देगें और ये (दुनिया में) जो आमाल करते थे हम उनके आमाल की उन्हें अच्छी से अच्छी जज़ा अता करेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
ईश्वर उन लोगों के अच्छे कामों का बदला देता है और उनके गुनाहों का कफ्फारा करता है।

हेतु (Reason):
यह आयत अच्छे कर्मों के बदले पुरस्कार देने और बुरे कर्मों के कफ्फारे की बात करती है, लेकिन इसका कोई सार्वभौमिक प्रमाण या अनुभवजन्य आधार नहीं है।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन में कर्मफल सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति के कर्मों का फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि "जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे" (अध्याय 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत व्याप्ति के सिद्धांत का पालन नहीं करती क्योंकि इसका प्रमाणिक आधार कमजोर है और इसे केवल एक सामान्य विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

आयत 8

आयत का अनुवाद:
 "और हमने इन्सान को अपने माँ बाप से अच्छा बरताव करने का हुक्म दिया है और (ये भी कि) अगर तुझे तेरे माँ बाप इस बात पर मजबूर करें कि ऐसी चीज़ को मेरा शरीक बना जिन (के शरीक होने) का मुझे इल्म तक नहीं तो उनका कहना न मानना तुम सबको (आख़िर एक दिन) मेरी तरफ़ लौट कर आना है मै जो कुछ तुम लोग (दुनिया में) करते थे बता दूँगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
 हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:
 प्रतिज्ञा (Proposition):
 यह आयत कहती है कि अगर माता-पिता किसी ऐसे कार्य को करने के लिए कहें जो ईश्वर के खिलाफ हो, तो उनका कहना नहीं मानना चाहिए।

हेतु (Reason):
 यह तर्क माता-पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का समर्थन करता है, लेकिन यह बिना किसी प्रमाण या अनुभवजन्य आधार के विश्वास पर आधारित है।

उदाहरण (Example):
 भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से गीता में, ईश्वर के प्रति भक्ति और सही कर्म को सर्वोत्तम माना गया है। यदि माता-पिता किसी धार्मिक असहमति के लिए दबाव डालते हैं, तो व्यक्ति को अपने धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत केवल विश्वास और धार्मिक कर्तव्य के आधार पर बनाई गई है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण या तार्किक आधार नहीं है।

आयत 9

आयत का अनुवाद:
"और जिन लोगों ने इमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए हम उन्हें (क़यामत के दिन) ज़रुर नेको कारों में दाख़िल करेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि अच्छे कर्म करने वालों को क़यामत में पुरस्कार मिलेगा।

हेतु (Reason):
यह आयत अच्छे कर्मों के बदले पुरस्कार देने का दावा करती है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण या अनुभवजन्य आधार नहीं है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार, हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है" (अध्याय 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत प्रमाण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है क्योंकि यह केवल विश्वास और धार्मिक कर्मों पर आधारित है, बिना ठोस प्रमाण के।

आयत 10

आयत का अनुवाद:
"और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो (ज़बान से तो) कह देते हैं कि हम ख़ुदा पर इमान लाए फिर जब उनको ख़ुदा के बारे में कुछ तकलीफ़ पहुँची तो वह लोगों की तकलीफ़ देही को अज़ाब के बराबर ठहराते हैं और (ऐ रसूल) अगर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की मदद आ पहुँची और तुम्हें फ़तेह हुयी तो यही लोग कहने लगते हैं

कि हम भी तो तुम्हारे साथ ही साथ थे भला जो कुछ सारे जहाँन के दिलों में है क्या ख़ुदा बख़ूबी वाक़िफ नहीं (ज़रुर है)।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों की आलोचना करती है जो केवल जुबान से इमान लाते हैं, परंतु जब मुश्किल आती है तो वे अपना समर्थन वापस ले लेते हैं।

हेतु (Reason):
यह तर्क करता है कि ईमान का केवल ज़बान से होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसे केवल एक सामान्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अनुभवजन्य प्रमाण से समर्थन नहीं प्राप्त करता।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में सत्य और ईमान की स्थिरता के बारे में गीता में कहा गया है कि "योग में स्थित होने के बाद व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए" (अध्याय 2, श्लोक 47)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत व्याप्ति के सिद्धांत का पालन नहीं करती क्योंकि इसका प्रमाण और तर्क कमजोर है, और यह केवल एक सामान्य धारणा पर आधारित है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
6	प्रमेय	यह केवल एक सामान्य कथन है, जिसका कोई प्रमाण या उदाहरण नहीं दिया गया।
7	व्याप्ति	कर्मफल का सिद्धांत बिना प्रमाण या अनुभवजन्य आधार के प्रस्तुत किया गया।

8	हेतु	केवल विश्वास पर आधारित है, बिना ठोस प्रमाण के।
9	प्रमाण	कर्मों के आधार पर पुरस्कार देने का दावा, लेकिन प्रमाण की कमी है।
10	व्याप्ति	अनुभवजन्य प्रमाण के बिना केवल एक सामान्य धारणा प्रस्तुत की गई है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में विश्वास, कर्म, और पुरस्कार के बारे में जो दावे किए गए हैं, वे तर्क और प्रमाण से कमजोर प्रतीत होते हैं। भारतीय दर्शन और न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी सिद्धांत का समर्थन ठोस प्रमाण और तर्क से होना चाहिए, जो इन आयतों में अनुपस्थित है।

आयत 11 से आयत 15 तक का तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 11

आयत का अनुवाद:
"और जिन लोगों ने इमान कुबूल किया ख़ुदा उनको यक़ीनन जानता है और मुनाफ़ेक़ीन को भी ज़रुर जानता है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
ईश्वर जानता है कि कौन सच्चे विश्वासियों के रूप में इमान लाया है और कौन मुनाफिक (द्वेषपूर्ण) है।

हेतु (Reason):
यह आयत ईश्वर की सर्वज्ञता को प्रमाणित करती है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक आधार या अनुभवजन्य आधार नहीं दिया गया।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में आत्मा और परमात्मा का तात्त्विक सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है। वेदांत दर्शन के अनुसार, परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते हुए भी संसार में घटित सभी घटनाओं से अज्ञात नहीं होते।

निगमन (Conclusion):
यह आयत प्रमेय के सिद्धांत का पालन करती है, लेकिन इसे बिना किसी अनुभवजन्य या प्रमाणिक आधार के प्रस्तुत किया गया है।

आयत 12

आयत का अनुवाद:
"और कुफ्फार इमान वालों से कहने लगे कि हमारे तरीक़े पर चलो और (क़यामत में) तुम्हारे गुनाहों (के बोझ) को हम (अपने सर) ले लेंगे हालांकि ये लोग ज़रा भी तो उनके गुनाह उठाने वाले नहीं ये लोग यक़ीनी झूठे हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
कुफ़्फ़ार (अविश्वासी) ईमान वालों से कहते हैं कि हमारे रास्ते पर चलो, और हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाएँगे, जबकि ऐसा नहीं होगा।

हेतु (Reason):
यह आयत झूठे दावे करने वाले लोगों की आलोचना करती है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण या अनुभवजन्य आधार नहीं है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से गीता में, यह स्पष्ट किया गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भोगना पड़ता है। गीता के अनुसार, "जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है" (अध्याय 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत व्याप्ति के सिद्धांत का पालन नहीं करती क्योंकि इसमें केवल एक सामान्य धारणा दी गई है, जो बिना प्रमाण के है।

आयत 13

आयत का अनुवाद:
"और (हाँ) ये लोग अपने (गुनाह के) बोझे तो यक़ीनी उठाएँगें ही और अपने बोझो के साथ जिन्हें गुमराह किया उनके बोझो भी उठाएँगे और जो इफ़्तिरा परदाज़िया ये लोग करते रहे हैं क़यामत के दिन उन से ज़रुर उसकी बाज़पुर्स होगी।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि ये लोग न केवल अपने गुनाहों का बोझ उठाएंगे, बल्कि जिन लोगों को गुमराह किया, उनके बोझ को भी उठाएँगे।

हेतु (Reason):
यह तर्क करता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भोगना पड़ेगा और अगर उसने दूसरों को गुमराह किया है, तो उनका बोझ भी वह उठाएगा। लेकिन यह कथन बिना कोई ठोस प्रमाण या अनुभवजन्य आधार दिए केवल एक विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में कर्मफल के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, "जैसा कर्म करोगे, वैसा फल पाओगे" (अध्याय 4, श्लोक 17), और साथ ही यह भी कहा गया है कि "व्यक्ति को उसके ही कर्मों का फल मिलता है।"

निगमन (Conclusion):
यह आयत केवल एक सामान्य धारणा है, जो अनुभवजन्य प्रमाण से समर्थन नहीं पाती।

आयत 14

आयत का अनुवाद:
"और हमने नूह को उनकी क़ौम के पास (पैग़म्बर बनाकर) भेजा तो वह उनमें पचास कम हज़ार बरस रहे (और हिदायत किया किए और जब न माना) तो आख़िर तूफान ने उन्हें ले डाला और वह उस वक़्त भी सरकश ही थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
उदाहरण (Udaharana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत नूह (अलैहिस्सलाम) की कहानी से संबंधित है, जिसमें उन्होंने अपनी क़ौम को हिदायत दी, लेकिन वे नहीं माने, और अंत में उन पर तूफान आया।

हेतु (Reason):
यह तर्क बताता है कि जब लोग किसी पैग़म्बर के संदेश को नकारते हैं, तो ईश्वर उनकी सजा के रूप में प्राकृतिक आपदाएँ भेजता है। लेकिन यह एक ऐतिहासिक उदाहरण है और इसका कोई तार्किक आधार नहीं है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी, विशेष रूप से पुराणों में, यह बताया गया है कि जब लोग धर्म और सत्य को नकारते हैं, तो उन्हें उनके कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, महाभारत में पांडवों को अपने अच्छे कर्मों का फल मिला, जबकि कौरवों को उनके बुरे कर्मों का।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक ऐतिहासिक उदाहरण को प्रस्तुत करती है, लेकिन इसका कोई सार्वभौमिक प्रमाण या तर्क नहीं है जो इसे सामान्यीकृत करने योग्य बनाता है।

आयत 15

आयत का अनुवाद:
"फिर हमने नूह और कशती में रहने वालों को बचा लिया और हमने इस वाक़िये को सारी ख़ुदाई के वास्ते (अपनी कुदरत की) निशानी क़रार दी।"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):

यह आयत कहती है कि नूह और उनके अनुयायी को बचा लिया गया और इसे ईश्वर की कुदरत की निशानी बना दिया गया।

हेतु (Reason):
यह तर्क करता है कि ईश्वर ने अपनी शक्ति से नूह और उनके अनुयायियों को बचाया, लेकिन यह एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है और इसे किसी सामान्य प्रमाण या सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से पुराणों में, कई घटनाएँ हैं जहाँ ईश्वर ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। जैसे रामायण में भगवान राम ने रावण को हराया, जो एक ईश्वर की कुदरत के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

निगमन (Conclusion):
यह आयत उपमान के सिद्धांत का पालन नहीं करती क्योंकि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना को कुदरत की निशानी के रूप में प्रस्तुत करती है, जो एक सामान्य सिद्धांत या तर्क के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
11	प्रमेय	कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं दिया गया है, केवल एक विश्वास पर आधारित है।
12	व्याप्ति	सामान्य धारणा, बिना किसी प्रमाण के।
13	हेतु	बिना अनुभवजन्य प्रमाण के केवल एक सामान्य विश्वास पर आधारित है।
14	उदाहरण	ऐतिहासिक उदाहरण है, लेकिन इसे सामान्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
15	उपमान	केवल एक ऐतिहासिक घटना, जो सामान्य सिद्धांत के रूप में नहीं

स्थापित की जा सकती।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में ईश्वर की शक्ति और कर्मों के परिणामों के बारे में जो दावे किए गए हैं, वे ऐतिहासिक घटनाओं और सामान्य विश्वासों पर आधारित हैं। भारतीय दर्शन में कर्म और फल के सिद्धांत को सटीक रूप से प्रमाणित किया गया है, जबकि इन आयतों में तर्क की कमी और प्रमाण का अभाव है।

आयत 16 से आयत 20 तक का तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 16

आयत का अनुवाद:
"और इबराहीम को (याद करो) जब उन्होंने कहा कि (भाईयों) ख़ुदा की इबादत करो और उससे डरो अगर तुम समझते बूझते हो तो यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने लोगों को केवल ईश्वर की इबादत करने और उससे डरने की सलाह दी, क्योंकि यह उनके भले के लिए था।

हेतु (Reason):
यह आयत एक स्पष्ट आस्था आधारित संदेश देती है, जिसमें यह कहा गया है कि केवल ईश्वर की इबादत ही सही मार्ग है। हालांकि, यह बिना किसी अनुभवजन्य प्रमाण या तर्क के पेश किया गया है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में एक समान दृष्टिकोण पाया जाता है, जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के पालन की सलाह दी थी, जो केवल आत्मा के लिए और जीवन के उद्देश्य के लिए आवश्यक था।

निगमन (Conclusion):
यह आयत प्रमाण के रूप में तर्क नहीं पेश करती, बल्कि केवल विश्वास के आधार पर है। यह अन्य धर्मों में भी आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के प्रति श्रद्धा की ओर संकेत करती है।

आयत 17

आयत का अनुवाद:
"तुम लोग तो ख़ुदा को छोड़कर सिर्फ बुतों की परसतिश करते हो और झूठी बातें (अपने दिल से) गढ़ते हो इसमें तो शक ही नहीं कि ख़ुदा को छोड़कर जिन लोगों की तुम परसतिश करते हो वह तुम्हारी रोज़ी का एख़्तेयार नहीं रखते-बस ख़ुदा ही से रोज़ी भी माँगों और उसकी इबादत भी करो उसका शुक्र करो (क्योंकि) तुम लोग (एक दिन) उसी की तरफ़ लौटाए जाओगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि केवल ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अन्य देवी-देवता या बुत कोई रोज़ी नहीं दे सकते।

हेतु (Reason):
यह तर्क है कि केवल ईश्वर की इबादत से ही असली लाभ और रोज़ी मिल सकती है। यह तर्क एक विश्वास है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या अनुभवजन्य आधार नहीं दिया गया।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से वेदांत और उपनिषदों में, यह कहा गया है कि परमात्मा ही सम्पूर्ण सृष्टि का कारण है और केवल वही जीवन और भरण-पोषण का स्रोत है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत तर्क के आधार पर नहीं, बल्कि विश्वास और धर्म पर आधारित है, जो अन्य धार्मिक पंक्तियों में समान है।

आयत 18

आयत का अनुवाद:
"और (ऐ एहले मक्का) अगर तुमने (मेरे रसूल को) झुठलाया तो (कुछ परवाह नहीं) तुमसे पहले भी तो बहुतेरी उम्मते (अपने पैग़म्बरों को) झुठला चुकी हैं और रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ (एहक़ाम का) पहुँचा देना है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि यदि लोग रसूल (प्रेषित संदेश) को नकारते हैं, तो यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई लोग अपने पैग़म्बरों को झुठला चुके हैं।

हेतु (Reason):
यह तर्क देता है कि रसूल का कार्य केवल संदेश पहुँचाना है, और इसका परिणाम लोगों पर निर्भर करता है। यह तर्क प्रमाण से परे एक सामान्य अनुभव पर आधारित है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में, जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि उनका कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल का निर्धारण तो परमात्मा पर है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत अनुभवजन्य प्रमाण पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे धार्मिक विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

आयत 19

आयत का अनुवाद:
"बस क्या उन लोगों ने इस पर ग़ौर नहीं किया कि ख़ुदा किस तरह मख़लूकात को पहले पहल पैदा करता है और फिर उसको दोबारा पैदा करेगा ये तो ख़ुदा के नज़दीक बहुत आसान बात है।"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):

यह आयत कहती है कि लोग यह नहीं सोचते कि ईश्वर पहले मखलूक को पैदा करता है और फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, जो ईश्वर के लिए आसान है।

हेतु (Reason):

यह तर्क करता है कि ईश्वर की शक्ति के सामने मखलूक का सृजन और पुनः सृजन सरल है। यह तर्क कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं देता, बल्कि केवल विश्वास और धर्म के आधार पर है।

उदाहरण (Example):

भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से संस्कृत के शास्त्रों में, यह कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ और अंत के बारे में विचार किया गया है, लेकिन उसे तर्क और प्रमाण के आधार पर स्थापित करने के बजाय एक धार्मिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

निगमन (Conclusion):

यह आयत उपमान के सिद्धांत का पालन करती है, लेकिन यह केवल विश्वास और धार्मिक अवधारणा पर आधारित है, बिना कोई प्रमाण पेश किए।

आयत 20

आयत का अनुवाद:

"(ऐ रसूल इन लोगों से) तुम कह दो कि ज़रा रुए ज़मीन पर चलफिर कर देखो तो कि ख़ुदा ने किस तरह पहले पहल मख़लूक को पैदा किया फिर (उसी तरह वही) ख़ुदा (क़यामत के दिन) आख़िरी पैदाइश पैदा करेगा- बेशक ख़ुदा हर चीज़ पर क़ादिर है।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):

यह आयत कहती है कि लोग पृथ्वी पर चलकर देख सकते हैं कि ईश्वर ने पहले सृष्टि को कैसे उत्पन्न किया, और वही ईश्वर क़यामत के दिन पुनः सृष्टि को उत्पन्न करेगा।

हेतु (Reason):
यह तर्क देता है कि क़यामत के दिन पुनः सृष्टि का उत्पन्न होना ईश्वर के लिए आसान है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक या प्रमाणिक आधार नहीं है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में यह विचार मिलता है कि प्रकृति में परिवर्तन निरंतर है, लेकिन यह तर्क केवल अवधारणात्मक है, और इसे प्रमाणिक रूप से सिद्ध करना मुश्किल है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत प्रमाण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर है, और इसे धार्मिक विश्वास पर आधारित माना जाता है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
16	प्रमाण	विश्वास आधारित, बिना किसी अनुभवजन्य प्रमाण के।
17	हेतु	तर्क बिना प्रमाण के, केवल विश्वास पर आधारित।
18	प्रमाण	सामान्य अनुभव पर आधारित, प्रमाण का अभाव।
19	उपमान	विश्वास और धार्मिक अवधारणाओं पर आधारित, कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं।
20	प्रमाण	प्रमाण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर, केवल विश्वास पर आधारित।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में बहुत से तर्क धार्मिक विश्वास और धर्म के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें अनुभवजन्य प्रमाण और तर्क का अभाव है। भारतीय दर्शन में भी समान रूप से धार्मिक विचारों को तात्त्विक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इन आयतों में कोई ठोस तर्क या प्रमाण नहीं है जो उन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य बना सके।

आयत 21 से आयत 25 तक का तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 21

आयत का अनुवाद:
"जिस पर चाहे अज़ाब करे और जिस पर चाहे रहम करे और तुम लोग (सब के सब) उसी की तरफ लौटाए जाओगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि ईश्वर के पास पूरी सत्ता है, और वह किसी को सजा या रहम देने का निर्णय करता है।

हेतु (Reason):
यह तर्क ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और न्याय पर आधारित है, लेकिन यह बिना किसी तर्क के प्रस्तुत किया गया है। यह केवल विश्वास और धर्म पर आधारित है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भगवान के कृत्य और निर्णयों को भी विवेकपूर्ण तरीके से स्वीकार किया जाता है, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के अनुसार फल देने की बात कही।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक आस्थात्मक विश्वास प्रस्तुत करती है, जो किसी तर्क या वैज्ञानिक आधार पर नहीं खड़ा है।

आयत 22

आयत का अनुवाद:
"और न तो तुम ज़मीन ही में ख़ुदा को ज़ेर कर सकते हो और न आसमान में और ख़ुदा के सिवा न तो तुम्हारा कोई सरपरस्त है और न मददगार।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):

यह आयत कहती है कि ईश्वर के अलावा कोई व्यक्ति या सत्ता न तो धरती पर और न ही आसमान में उसे नियंत्रित कर सकती है।

हेतु (Reason):

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ईश्वर की सत्ता सार्वभौमिक है और वह सर्वशक्तिमान है। हालांकि, यह विचार विश्वास आधारित है और इसे तर्क या प्रमाण से सिद्ध नहीं किया गया।

उदाहरण (Example):

भारतीय दर्शन में भी यह विचार पाया जाता है कि केवल परमात्मा ही सभी शक्तियों का स्रोत है, जैसा कि वेदांत में कहा गया है कि "एको ब्रह्मा" (केवल एक ब्रह्म है)।

निगमन (Conclusion):

यह आयत विश्वास पर आधारित है और इसे बिना किसी प्रमाण या तर्क के प्रस्तुत किया गया है।

आयत 23

आयत का अनुवाद:

"और जिन लोगों ने ख़ुदा की आयतों और (क़यामत के दिन) उसके सामने हाज़िर होने से इन्कार किया मेरी रहमत से मायूस हो गए हैं और उन्हीं लोगों के वास्ते दर्दनाक अज़ाब है।"

चुना गया न्याय तत्व:

हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):

यह आयत कहती है कि जो लोग ईश्वर की आयतों और क़यामत के दिन विश्वास नहीं करते, उन्हें ईश्वर की रहमत से दूर कर दिया जाता है और वे अज़ाब में होंगे।

हेतु (Reason):

यह तर्क किया गया है कि केवल ईश्वर के साथ विश्वास रखने से ही मनुष्य को रहमत मिल सकती है, और यदि ऐसा विश्वास नहीं है, तो अज़ाब होगा। हालांकि, यह तर्क कोई ठोस प्रमाण नहीं प्रस्तुत करता।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति के कर्म ही उसे सुख और दुःख देते हैं, और आत्मा की मुक्ति या बंधन का कारण होते हैं।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक विश्वास आधारित तर्क प्रस्तुत करती है, जो बिना किसी अनुभवजन्य प्रमाण के है।

आयत 24

आयत का अनुवाद:
"ग़रज़ इबराहीम की क़ौम के पास (इन बातों का) इसके सिवा कोई जवाब न था कि बाहम कहने लगे इसको मार डालो या जला (कर ख़ाक) कर डालो (आख़िर वह कर गुज़रे) तो ख़ुदा ने उनको आग से बचा लिया इसमें शक नहीं कि दुनियादार लोगों के वास्ते इस वाकिये में (कुदरते ख़ुदा की) बहुत सी निशानियाँ हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
उदाहरण (Udaharana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की क़ौम के प्रतिरोध को दर्शाती है, जिन्होंने उन्हें आग में डालने की धमकी दी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें बचा लिया।

हेतु (Reason):
यह घटना ईश्वर की शक्ति को प्रमाणित करने के रूप में प्रस्तुत की गई है। हालांकि, यह सिर्फ एक ऐतिहासिक उदाहरण है और इसे साक्ष्य या तर्क के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी कई ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाएं हैं, जैसे हनुमान जी का लंका दहन, जो ईश्वर की शक्ति और चमत्कारी घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं।

निगमन (Conclusion):
यह आयत केवल एक ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत करती है, जो विश्वास और आस्थाओं पर आधारित है, परंतु इसे वैज्ञानिक या तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 25

आयत का अनुवाद:
"और इबराहीम ने (अपनी क़ौम से) कहा कि तुम लोगों ने ख़ुदा को छोड़कर बुतो को सिर्फ दुनिया की ज़िन्दगी में बाहम मोहब्त करने की वजह से (ख़ुदा) बना रखा है फिर क़यामत के दिन तुम में से एक का एक इनकार करेगा और एक दूसरे पर लानत करेगा और (आख़िर) तुम लोगों का ठिकाना जहन्नुम है और (उस वक़्त तुम्हारा कोई भी मददगार न होगा)।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, वे क़यामत के दिन एक-दूसरे पर लानत करेंगे और उनका ठिकाना जहन्नुम होगा।

हेतु (Reason):
यह तर्क प्रस्तुत करता है कि बुतों की पूजा करने वाले लोग क़यामत के दिन अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, लेकिन तब कोई मदद नहीं होगी। यह तर्क विश्वास पर आधारित है, लेकिन बिना किसी तर्क या प्रमाण के।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से पुराणों में, यह कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मार्ग से भटक जाता है, वह न केवल अपनी गलती स्वीकार करता है, बल्कि उसे पुनः सही मार्ग पर लाने के लिए अपने कर्म सुधारने होते हैं।

निगमन (Conclusion):
यह आयत विश्वास पर आधारित है, जिसमें कोई ठोस तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है और यह अन्य धार्मिक अवधारणाओं से मेल खाती है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
21	व्याप्ति	विश्वास पर आधारित, बिना किसी अनुभवजन्य प्रमाण के।
22	प्रमाण	विश्वास आधारित, कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं।
23	हेतु	तर्क और विश्वास आधारित, कोई प्रमाण नहीं।
24	उदाहरण	ऐतिहासिक उदाहरण है, परंतु इसे तर्क के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
25	हेतु	विश्वास पर आधारित, कोई तर्क नहीं।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में अधिकांश तर्क धार्मिक विश्वास पर आधारित हैं, जो किसी वैज्ञानिक या अनुभवजन्य प्रमाण से समर्थित नहीं हैं। हालांकि, ये विश्वास और आस्थाओं की बात करती हैं, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से ठीक हो सकती हैं, लेकिन तर्क या प्रमाण के दृष्टिकोण से ये अपर्याप्त हैं।

आयत 26 से आयत 30 तक का तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 26

आयत का अनुवाद:
"तब सिर्फ लूत इबराहीम पर इमान लाए और इबराहीम ने कहा मै तो देस को छोड़कर अपने परवरदिगार की तरफ (जहाँ उसको मंज़ूर हो) निकल जाऊँगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने देश को छोड़कर अपने परवरदिगार की दिशा में प्रस्थान किया।

हेतु (Reason):
यह तर्क दिया गया है कि इबराहीम का विश्वास और निष्ठा ईश्वर के प्रति अत्यधिक था, और उन्होंने अपने क़ौम से अलग होने का निर्णय लिया। यह आस्थापूर्ण कथन है, जो किसी तर्क या प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी आत्मसाक्षात्कार और ईश्वर के मार्ग में आत्मसमर्पण का उदाहरण मिलता है, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनिर्भरता और विश्वास का मार्ग दिखाया।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक विश्वास पर आधारित कथन है और इसे तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 27

आयत का अनुवाद:
"इसमें शक नहीं कि वह ग़ालिब (और) हिकमत वाला है और हमने इबराहीम को इसहाक़ (सा बेटा) और याक़ूब (सा पोता) अता किया और उनकी नस्ल में पैग़म्बरी और किताब क़रार दी और हम न इबराहीम को दुनिया में भी अच्छा बदला अता किया और वह तो आख़ेरत में भी यकीनी नेको कारों से हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
उदाहरण (Udaharana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि ईश्वर ने इबराहीम को इसहाक़ और याक़ूब जैसा बेटा और पोता अता किया, और उनकी नस्ल में पैग़म्बरी और किताब को क़रार दिया।

हेतु (Reason):
यह तर्क किया गया है कि इबराहीम की नस्ल को विशेष सम्मान मिला और उन्हें पैग़म्बरी दी गई, लेकिन यह आस्थापूर्ण है और बिना किसी प्रमाण के इसे स्वीकार करना मुश्किल है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी बहुत से महान ऋषि-मुनि रहे हैं, जैसे वेदव्यास, जिनकी नस्ल में वेदों की शिक्षा और ज्ञान की परंपरा चली आई।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक धार्मिक विश्वास पर आधारित है और इसे तर्क या वैज्ञानिक प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 28

आयत का अनुवाद:
"(और ऐ रसूल) लूत को (याद करो) जब उन्होंने अपनी क़ौम से कहा कि तुम लोग अजब बेहयाई का काम करते हो कि तुमसे पहले सारी ख़ुदायी के लोगों में से किसी ने नहीं किया।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि लूत (अलैहिस्सलाम) ने अपनी क़ौम को एक बेहयाई के काम से चेतावनी दी, जो पहले किसी ने नहीं किया।

हेतु (Reason):
यह तर्क दिया गया है कि यह क़ौम अपनी बेहयाई के कारण विलुप्त हो गई, लेकिन यह तर्क केवल विश्वास पर आधारित है, और कोई ऐतिहासिक या अनुभवजन्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता।

उदाहरण (Example):
भारतीय संस्कृति में भी आत्मनियंत्रण और संयम को बहुत महत्व दिया गया है, जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसंयम और धर्म के अनुसार कार्य करने की सलाह दी।

निगमन (Conclusion):
यह आयत चेतावनी देती है, लेकिन यह किसी निश्चित प्रमाण पर आधारित नहीं है।

आयत 29

आयत का अनुवाद:
"तुम लोग (औरतों को छोड़कर कज़ाए शहवत के लिए) मर्दों की तरफ गिरते हो और (मुसाफिरों की) रहजनी करते हो और तुम लोग अपनी महफिलों में बुरी बुरी हरकते करते हो तो (इन सब बातों का) लूत की क़ौम के पास इसके सिवा कोई जवाब न था कि वह लोग कहने लगे कि भला अगर तुम सच्चे हो तो हम पर ख़ुदा का अज़ाब तो ले आओ।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि लूत की क़ौम ने अपनी बुरी आदतों के कारण ईश्वर का अज़ाब आने की चुनौती दी।

हेतु (Reason):
यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि क़ौम ने अपनी बुरी हरकतों के कारण ईश्वर के अज़ाब को आमंत्रित किया। हालांकि, यह तर्क भी विश्वास और कथाओं पर आधारित है और कोई ठोस प्रमाण नहीं देता।

उदाहरण (Example):
भारतीय संस्कृति में भी अधर्म और अनैतिक कृत्य करने वालों के लिए दंड का सिद्धांत है, जैसा कि वेदों और पुराणों में उल्लेखित है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत भी आस्थापूर्ण है और इसे केवल धार्मिक दृष्टिकोण से स्वीकार किया जा सकता है, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है।

आयत 30

आयत का अनुवाद:
"तब लूत ने दुआ की कि परवरदिगार इन मुफ़सिद लोगों के मुक़ाबले में मेरी मदद कर।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि लूत ने अपनी क़ौम की नासमझी और बुराई के खिलाफ ईश्वर से सहायता की दुआ की।

हेतु (Reason):
यह तर्क प्रस्तुत करता है कि लूत की दुआ और ईश्वर की मदद से ही उनकी क़ौम की बुराई को रोका जा सकता था। हालांकि, यह तर्क केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है और इसे अनुभवजन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी देवी-देवताओं से सहायता प्राप्त करने की परंपरा है, जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

निगमन (Conclusion):
यह आयत भी विश्वास पर आधारित है, जो केवल धार्मिक परिप्रेक्ष्य से स्वीकार की जा सकती है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
26	**प्रमाण**	**विश्वास आधारित, कोई प्रमाण या तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है।**
27	**उदाहरण**	**आस्थापूर्ण है, बिना किसी तर्क या प्रमाण के।**
28	**हेतु**	**तर्क और विश्वास आधारित, कोई प्रमाण नहीं।**
29	**हेतु**	**विश्वास और धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित, बिना प्रमाण के।**
30	**प्रमाण**	**विश्वास पर आधारित दुआ, कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में अधिकांश तर्क धार्मिक विश्वास और आस्थाओं पर आधारित हैं, जो कि प्रमाण या तर्क से समर्थित नहीं हैं। इनका उद्देश्य ईश्वर की सत्ता, आस्थाओं, और पैग़म्बरों की भूमिका को दर्शाना है, लेकिन इसे तर्क या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 31 से आयत 35 तक का तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 31

आयत का अनुवाद:
"(उस वक़्त अज़ाब की तैयारी हुयी) और जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते इबराहीम के पास (बुढ़ापे में बेटे की) खुशखबरी लेकर आए तो (इबराहीम से) बोले हम लोग अनक़रीब इस गाँव के रहने वालों को हलाक करने वाले हैं (क्योंकि) इस बस्ती के रहने वाले यक़ीनी (बड़े) सरकश हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि फ़रिश्ते इबराहीम के पास आकर एक गाँव के विनाश की सूचना देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग सरकश (नाफरमान) हैं।

हेतु (Reason):
यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ईश्वर के आदेश पर नाफरमानी करने वाले लोगों को विनाश का सामना करना पड़ता है। यह तर्क केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है और इसका कोई वैज्ञानिक या अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी अधर्मियों को दंड देने का सिद्धांत है, जैसे पुराणों में देवताओं द्वारा असुरों का संहार किया जाना।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक आस्थापूर्ण कथन है, जो तर्क और प्रमाण से समर्थित नहीं है।

आयत 32

आयत का अनुवाद:
”इबराहीम ने कहा कि इस बस्ती में तो लूत भी है। वह फ़रिश्ते बोले जो लोग इस बस्ती में हैं हम लोग उनसे खूब वाक़िफ़ हैं हम तो उनको और उनके लड़के बालों को यक़ीनी बचा लेंगे मगर उनकी बीबी को वह (अलबता) पीछे रह जाने वालों में होगीं।”

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि लूत और उनके परिवार को बचा लिया जाएगा, लेकिन लूत की पत्नी को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वह पीछे रह जाएगी।

हेतु (Reason):
यह तर्क दिया गया है कि ईश्वर का आदेश था कि केवल सत्यनिष्ठ लोग ही बचाए जाएंगे, और जो लोग इन आदेशों का पालन नहीं करते, उन्हें छोड़ दिया जाता है। यह तर्क केवल विश्वास और धार्मिक आदेश पर आधारित है, कोई तर्क या प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है।

उदाहरण (Example):
भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी धर्म से विचलित व्यक्तियों के लिए दंड का विधान है, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अधर्म का पालन करने वालों को दंड दिया जाएगा।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक विश्वास पर आधारित है, जो तर्क या अनुभवजन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 33

आयत का अनुवाद:
”और जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते लूत के पास आए लूत उनके आने से ग़मग़ीन हुए और उन (की मेहमानी) से दिल तंग हुए (क्योंकि वह नौजवान ख़ूबसूरत मर्दों की सरूरत में आए थे) फ़रिश्ते ने कहा आप ख़ौफ न करें और कुढ़े नहीं हम आपको और आपके लड़के बालों को बचा लेगें मगर आपकी बीबी (क्योंकि वह पीछे रह जाने वालों से होगी।)”

चुना गया न्याय तत्व:
 प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:
 प्रतिज्ञा (Proposition):
 यह आयत कहती है कि लूत को फ़रिश्ते द्वारा सूचना दी जाती है कि वह और उनका परिवार बचाए जाएंगे, लेकिन उनकी पत्नी को छोड़ दिया जाएगा।

हेतु (Reason):
 यह तर्क किया गया है कि लूत की पत्नी ने अनुशासन और सही मार्ग पर नहीं चलने के कारण वह बचाई नहीं गई। यह एक आस्थापूर्ण विचार है, और कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है।

उदाहरण (Example):
 भारतीय दर्शन में भी किसी के पापों के कारण उन्हें परिणाम भुगतने का सिद्धांत है, जैसे पुराणों में पाप और पुण्य के आधार पर जीवन के फल तय किए जाते हैं।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत भी आस्थापूर्ण है और प्रमाण या तर्क से सिद्ध नहीं की जा सकती।

आयत 34

आयत का अनुवाद:
 "हम यक़ीनन इसी बस्ती के रहने वालों पर चूँकि ये लोग बदकारियाँ करते रहे एक आसमानी अज़ाब नाजिल करने वाले हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
 हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:
 प्रतिज्ञा (Proposition):
 यह आयत कहती है कि बस्ती के लोग अपनी बदकारियों के कारण आसमानी अज़ाब का शिकार होंगे।

हेतु (Reason):
यह तर्क दिया गया है कि बदकारियाँ करने वाले लोग ईश्वर के क्रोध का सामना करते हैं। यह एक धार्मिक विश्वास है, और इसका कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है।

उदाहरण (Example):
भारतीय संस्कृति में भी अधर्म के परिणामस्वरूप दंड और कष्ट की अवधारणा है, जैसे महाभारत में दुर्योधन की अधर्मिता के कारण उसके साथ जो हुआ।

निगमन (Conclusion):
यह आयत धार्मिक विश्वास पर आधारित है और इसे तर्क या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 35

आयत का अनुवाद:
"और हमने यक़ीनी उस (उलटी हुई बस्ती) में से समझदार लोगों के वास्ते (इबरत की) एक वाज़ेए और रौशन निशानी बाक़ी रखी है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि ईश्वर ने बस्ती के विनाश के बाद समझदार लोगों के लिए एक निशानी छोड़ी है।

हेतु (Reason):
यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ईश्वर अपनी कुदरत और शिक्षाओं को स्पष्ट रूप से दिखाता है। हालांकि, यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण है, और इसका कोई अनुभवजन्य या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी ईश्वर के कृत्यों से शिक्षा और संदेश प्राप्त करने का सिद्धांत है, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य और धर्म की शिक्षा दी।

निगमन (Conclusion):
यह आयत भी धार्मिक विश्वास पर आधारित है, और इसे तर्क या अनुभवजन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
31	**प्रमाण**	**आस्थापूर्ण कथन, कोई वैज्ञानिक या अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है।**
32	**हेतु**	**विश्वास और धार्मिक आदेश पर आधारित, कोई तर्क या प्रमाण नहीं है।**
33	**प्रमेय**	**आस्थापूर्ण विचार, बिना तर्क या प्रमाण के।**
34	**हेतु**	**धार्मिक विश्वास, कोई तर्क या प्रमाण नहीं है।**
35	**प्रमाण**	**धार्मिक विश्वास पर आधारित, बिना तर्क या अनुभवजन्य प्रमाण के।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में दिए गए तर्क धार्मिक विश्वासों और आदेशों पर आधारित हैं। यह धार्मिक संदर्भ में समझाए गए हैं, लेकिन इन्हें तर्क या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इनका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना है, लेकिन यह तर्कों और प्रमाणों की कमी के कारण सार्वभौमिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संदिग्ध हो सकते हैं।

आयत 36 से आयत 40 तक का तार्किक विश्लेषण और आलोचना:

आयत 36

आयत का अनुवाद:
"और (हमने) मदियन के रहने वालों के पास उनके भाई शुएब को पैग़म्बर बनाकर भेजा उन्होंने (अपनी क़ौम से) कहा ऐ मेरी क़ौम ख़ुदा की इबादत करो और रोज़े आख़ेरत की उम्मीद रखो और रुए ज़मीन में फ़साद न फैलाते फिरो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि शुएब ने अपनी क़ौम को ईश्वर की इबादत करने, आख़ीरत की उम्मीद रखने और ज़मीन में फसाद न फैलाने की सलाह दी।

हेतु (Reason):
यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समाज में सद्गुणों का पालन करना और फसाद से बचना जरूरी है, जो कि सही है। हालांकि, यह केवल एक धार्मिक आदेश है और इसका कोई तर्कसंगत या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी समाज में सद्गुणों और अच्छे कर्मों की शिक्षा दी जाती है, जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पालन करने का आदेश दिया।

निगमन (Conclusion):
यह आयत धार्मिक शिक्षा प्रदान करती है, लेकिन इसका कोई तर्क या अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है।

आयत 37

आयत का अनुवाद:
"तो उन लोगों ने शुएब को झुठलाया पस ज़लज़ले (भूचाल) ने उन्हें ले डाला- तो वह लोग अपने घरों में औंधे ज़ानू के बल पड़े रह गए।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि शुएब की क़ौम ने उन्हें झुठलाया, जिसके बाद वे भूचाल के कारण विनाश का शिकार हो गए।

हेतु (Reason):
यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ईश्वर की अवज्ञा और नाफ़रमानी करने वालों को दंड मिलता है। हालांकि, इसका कोई वैज्ञानिक या तर्कसंगत प्रमाण नहीं है।

उदाहरण (Example):
भारतीय पुराणों में भी नाश और विनाश के लिए इसी प्रकार की घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे रावण का वध और अधर्मियों का दंड।

निगमन (Conclusion):
यह आयत विश्वास पर आधारित है और कोई तर्क या अनुभवजन्य प्रमाण नहीं देती।

आयत 38

आयत का अनुवाद:
"और क़ौम आद और समूद को (भी हलाक कर डाला) और (ऐ एहले मक्का) तुम को तो उनके (उजड़े हुए) घर भी (रास्ता आते जाते) मालूम हो चुके और शैतान ने उनकी नज़र में उनके कामों को अच्छा कर दिखाया था और उन्हें (सीधी) राह (चलने) से रोक दिया था हालांकि वह बड़े होशियार थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि आद और समूद की क़ौमों को विनाश का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर अपना मार्ग भटक लिया।

हेतु (Reason):
यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि शैतान के बहकावे में आकर लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हालांकि, इसका कोई तर्क या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया गया है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में भी गलत मार्ग पर चलने वालों को दुःख और पतन का सामना करना पड़ता है, जैसे महाभारत में कौरवों का पतन।

निगमन (Conclusion):
यह आयत भी धार्मिक विश्वास पर आधारित है, और इसे तर्क या अनुभवजन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 39

आयत का अनुवाद:
"और (हम ही ने) क़ारुन व फ़िरऔन व हामान को भी (हलाक कर डाला) हालांकि उन लोगों के पास मूसा वाज़ेए व रौशन मौजिज़े लेकर आए फिर भी ये लोग रुए ज़मीन में सरकशी करते फिरे और हमसे (निकल कर) कहीं आगे न बढ़ सके।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि क़ारुन, फ़िरऔन और हामान को उनके पापों के कारण विनाश का शिकार बनाया गया, हालांकि उन्हें वाज़े और रौशन प्रमाण मिल चुके थे।

हेतु (Reason):
यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बड़े और शक्तिशाली लोग भी जब ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ता है। यह तर्क धार्मिक परिप्रेक्ष्य से सही हो सकता है, लेकिन इसका कोई तर्कसंगत प्रमाण नहीं है।

उदाहरण (Example):
भारतीय धार्मिक कथाओं में भी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, जैसे रावण का अभिमान और उसका विनाश।

निगमन (Conclusion):
यह आयत धार्मिक विश्वास पर आधारित है, जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 40

आयत का अनुवाद:
"तो हमने सबको उनके गुनाह की सज़ा में ले डाला चुनांन्चे उनमे से बाज़ तो वह थे जिन पर हमने पत्थर वाली आँधी भेजी और बाज़ उनमें से वह थे जिन को एक सख़्त चिंघाड़ ने ले डाला और बाज़ उनमें से वह थे जिनको हमने ज़मीन में धँसा दिया और बाज़ उनमें से वह थे जिन्हें हमने डुबो मारा और ये बात नहीं कि ख़ुदा ने उन पर ज़ुल्म किया हो बल्कि (सच यूँ है कि) ये लोग ख़ुद (ख़ुदा की नाफ़रमानी करके) आप अपने ऊपर ज़ुल्म करते रहे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:
प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि ईश्वर ने लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा दी, और यह उनके अपने कर्मों का परिणाम था।

हेतु (Reason):
यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ईश्वर केवल उनके कर्मों के आधार पर सज़ा देता है, और यह दंड पूरी तरह से उनके द्वारा किए गए पापों का फल है। हालांकि, यह भी केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण है और कोई वैज्ञानिक या तर्कसंगत प्रमाण नहीं है।

उदाहरण (Example):
भारतीय दर्शन में कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी कर्मों का फल मिलता है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत धार्मिक विश्वास पर आधारित है, जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
36	**प्रमेय**	**धार्मिक आदेश, कोई तर्क या प्रमाण नहीं।**
37	**हेतु**	**कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है, विश्वास पर**

		आधारित।
38	**प्रमेय**	**धार्मिक आदेश, कोई तर्क या प्रमाण नहीं।**
39	**हेतु**	**कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है, विश्वास पर आधारित।**
40	**प्रमाण**	**धार्मिक विश्वास, कोई तर्क या प्रमाण नहीं।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में धार्मिक दृष्टिकोण और विश्वास पर आधारित बातें की गई हैं, जो तर्क या अनुभवजन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं की जा सकतीं। यह आयतें धार्मिक शिक्षा देती हैं, लेकिन उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

आयत 41

आयत का अनुवाद:
"जिन लोगों ने ख़ुदा के सिवा दूसरे कारसाज़ बना रखे हैं उनकी मसल उस मकड़ी की सी है जिसने (अपने ख़्याल-ऐ-नाक़िस में) एक घर बनाया और उसमें तो शक ही नहीं कि तमाम घरों से बोदा घर मकड़ी का होता है मगर ये लोग (इतना भी) जानते हो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि जिन लोगों ने ख़ुदा के अलावा अन्य देवताओं या अस्तित्वों को अपना कारसाज़ बना लिया है, उनकी स्थिति मकड़ी के घर जैसी है, जो बेहद कमजोर और अस्थिर होती है।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क उन लोगों के बारे में है जिन्होंने ख़ुदा के सिवा अन्य चीजों को पूजना या विश्वास करना शुरू किया। मकड़ी के घर को अस्थिर बताया गया है, जिसका कोई सटीक और वास्तविक आधार नहीं है।

यह तुलना स्पष्ट रूप से उनके विश्वासों को कमजोर और निष्कलंक मानती है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में, विशेषकर सांख्य और वैष्णिक दर्शन में, विश्वासों का महत्व होता है, लेकिन उन विश्वासों को एक संतुलित और प्रामाणिक आधार पर रखना ज़रूरी है। यह आयत उन विश्वासों का तिरस्कार करती है जो किसी व्यक्ति के अनुभव या तर्क से मेल नहीं खाते हैं।

- **उपनय (Application):**
  इस तर्क में यह भ्रामकता है कि सभी अन्य विश्वासों को एक अस्थिर मकड़ी के घर से जोड़ा गया है, जो ज़रा सी हवा से भी गिर सकता है। हालांकि, विभिन्न धर्मों और दर्शन में अपने अनुभवजन्य तर्क और प्रमाण होते हैं। भारतीय दर्शन में, जैसे योग दर्शन में, विश्वास के विभिन्न आयाम होते हैं जो अनुभव पर आधारित होते हैं और पूरी तरह से अस्थिर नहीं होते।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत हर विश्वास को केवल सन्देह और अस्थिरता के दृष्टिकोण से देखती है। यह न्याय दर्शन के सिद्धांत "प्रमेय" से मेल नहीं खाती, क्योंकि प्रमेय के अंतर्गत सभी सिद्धांतों और विश्वासों का मूल्यांकन प्रमाण और तर्क पर आधारित होता है, न कि केवल पक्षपाती दृष्टिकोण पर।

आयत 42

आयत का अनुवाद:
"ख़ुदा को छोड़कर ये लोग जिस चीज़ को पुकारते हैं उससे ख़ुदा यक़ीनी वाक़िफ है और वह तो (सब पर) ग़ालिब (और) हिकमत वाला है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह दावा किया गया है कि जो लोग ख़ुदा को छोड़कर अन्य देवताओं या अस्तित्वों की पूजा करते हैं, उन सभी चीजों से ख़ुदा पूरी तरह से वाकिफ है और वही सब पर हावी और समझदार

है।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह मानता है कि किसी अन्य विश्वास या पूजा की किसी भी चीज़ का वास्तविक अस्तित्व केवल ख़ुदा के ज्ञान और शक्ति के अधीन है। लेकिन, यह तर्क बिना किसी वास्तविक प्रमाण या अनुभव के दिया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  हिंदू धर्म में, विशेषकर गीता में, यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की पूजा का एक व्यक्तिगत और अनुभवी आयाम होता है (गीता, अध्याय 9, श्लोक 23-24)। इसलिए, यह दावा कि केवल ख़ुदा ही सब कुछ जानता है और हावी है, बिना विचार किए सभी विश्वासों को नकार देता है।

- **उपनय (Application):**
  यह तर्क एक एकांगी दृष्टिकोण पेश करता है, जिसमें अन्य विश्वासों और तर्कों को नकारा गया है। जबकि, न्याय दर्शन में प्रमाण के आधार पर विभिन्न सिद्धांतों की तुलना की जाती है, और हर सिद्धांत का अपने स्थान पर सत्यापन होता है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत अन्य विश्वासों को ख़ुदा के प्रभुत्व के तहत नकारती है, लेकिन यह न्याय दर्शन के "प्रमाण" सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि न्याय दर्शन में हर सिद्धांत को उचित प्रमाणों और तर्कों से समर्थित किया जाता है।

आयत 43

आयत का अनुवाद:
"और हम ये मिसाले लोगों के (समझाने) के वास्ते बयान करते हैं और उन को तो बस उलमा ही समझते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि ख़ुदा द्वारा दी गई मिसालें केवल उन लोगों के लिए होती हैं जो सही ज्ञान (उलमा) रखते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह मानता है कि किसी विशेष ज्ञान को केवल कुछ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं, जबकि दूसरों को यह समझ में नहीं आता। यह दृष्टिकोण सभी के लिए समान ज्ञान के उद्घाटन को नकारता है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में ज्ञान का समान वितरण होता है, जैसे वेदांत में कहा गया है कि सत्य का ज्ञान हर किसी तक पहुँच सकता है यदि सही मार्ग पर चलने की इच्छा हो। इसके विपरीत, इस आयत में यह दावा किया गया है कि कुछ विशेष लोग ही ज्ञान को समझ सकते हैं।

- **उपनय (Application):**
  यह आयत एक असमानता और विशेषता का प्रचार करती है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांत "हेतु" के खिलाफ है, जिसमें ज्ञान का खुला और सामान्य वितरण होता है, न कि इसे कुछ विशेष व्यक्तियों तक सीमित किया जाए।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत सभी के लिए ज्ञान की समानता और समझ को नकारती है, जबकि न्याय दर्शन में यह सिद्धांत है कि ज्ञान और तर्क का अनुप्रयोग हर किसी पर समान रूप से होना चाहिए।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
41	**प्रमेय**	**विश्वासों को बिना तर्क के नकारना**
42	**प्रमाण**	**विश्वासों को केवल ख़ुदा के प्रभुत्व के अधीन दिखाना**
43	**हेतु**	**ज्ञान को कुछ विशेष व्यक्तियों तक सीमित करना**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में विभिन्न विश्वासों और तर्कों को केवल एकतरफा दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन में, हर तर्क और सिद्धांत को प्रमाण और तर्क से समर्थित किया जाता है। इन आयतों में विश्वासों को बिना प्रमाण या तर्क के नकारा गया है, और अन्य दर्शन और विश्वासों को नकारा गया है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों के खिलाफ है।

आयत 44

आयत का अनुवाद:
"ख़ुदा ने सारे आसमान और ज़मीन को बिल्कुल ठीक पैदा किया इसमें शक नहीं कि उसमें इमानदारों के वास्ते (कुदरते ख़ुदा की) यक़ीनी बड़ी निशानी है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि ख़ुदा ने आसमान और ज़मीन को पूरी तरह से सही और ठोस रूप में पैदा किया है, और यह ईमानदारों के लिए ख़ुदा की ताकत और कुदरत की एक बड़ी निशानी है।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह देता है कि आसमान और ज़मीन का निर्माण ख़ुदा की शक्ति और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। हालांकि, यह तर्क अनुभवजन्य प्रमाणों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सवाल उठाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना का वैज्ञानिक विश्लेषण अब प्राकृतिक प्रक्रियाओं और कारणों पर आधारित है, न कि केवल धार्मिक विश्वासों पर।

- **उदाहरण (Example):**
  वैष्णिक और सांक्य दर्शन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके क्रमिक विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में समझा गया है। इस प्रक्रिया को विज्ञान ने बिग बैंग थ्योरी और विकासवाद जैसे सिद्धांतों के माध्यम से समझने की कोशिश की है, जो इस आयत के सीधे तात्त्विक दावे से अलग हैं।

- **उपनय (Application):**
  इस आयत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सीधे ख़ुदा की शक्ति के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन न्याय दर्शन में प्रमेय के अंतर्गत यह आवश्यक है कि किसी भी सिद्धांत को प्रमाण और तर्क से सिद्ध किया जाए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को केवल धार्मिक विश्वास के आधार पर प्रस्तुत करना विज्ञान और तर्क के विपरीत है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत न्याय दर्शन के प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि प्रमेय में किसी भी वस्तु या घटना के अस्तित्व को प्रमाण और तर्क के माध्यम से समझा जाता है, न कि केवल धार्मिक विश्वास से। यह आयत वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से अजनबी प्रतीत होती है।

आयत 45

आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) जो किताब तुम्हारे पास नाज़िल की गयी है उसकी तिलावत करो और पाबन्दी से नमाज़ पढ़ो बेशक नमाज़ बेहयाई और बुरे कामों से बाज़ रखती है और ख़ुदा की याद यक़ीनी बड़ा मरतबा रखती है और तुम लोग जो कुछ करते हो ख़ुदा उससे वाक़िफ है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि नमाज़ एक ऐसा कार्य है जो बेहयाई और बुरे कामों से रोकता है और यह ख़ुदा की याद में एक उच्च स्थान रखता है।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क यह प्रस्तुत करता है कि नमाज़ एक ऐसा अनिवार्य कार्य है जो इंसान को नैतिकता की ओर ले जाता है। हालांकि, यह विचार एक विशेष धार्मिक पद्धति पर आधारित है और यह सभी समाजों या धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में, विशेषकर योग और सांख्य दर्शन में, आत्म-नियंत्रण और नैतिकता की प्राप्ति का मार्ग साधना, ध्यान और कर्म योग के माध्यम से होता है। यह आयत केवल एक विशेष पद्धति (नमाज़) को ही नैतिक सुधार का उपाय मानती है, जबकि अन्य धार्मिक और दार्शनिक पद्धतियाँ भी आत्म-नियंत्रण और नैतिकता में सहायक हो सकती हैं।

- **उपनय (Application):**
  इस आयत में यह दावा किया गया है कि नमाज़ से ही बुरे कामों से बचा जा सकता है, लेकिन यह तर्क अन्य धार्मिक और दार्शनिक पद्धतियों को नकारता है, जो समान रूप से नैतिकता और आत्म-नियंत्रण की दिशा में कार्य करती हैं। न्याय दर्शन में प्रमाण के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी कर्म को सार्वभौमिक रूप से सही या गलत साबित करने के लिए सही प्रमाण की आवश्यकता होती है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत न्याय दर्शन के "प्रमाण" सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह केवल एक विशेष धार्मिक कृत्य को सार्वभौमिक रूप से नैतिकता का सबसे प्रभावी उपाय मानती है, जबकि अन्य दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोणों को नकारती है। न्याय दर्शन में किसी भी कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन सभी संभव प्रमाणों और तर्कों के आधार पर किया जाता है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
44	**प्रमेय**	**ब्रह्मांड की उत्पत्ति को केवल ख़ुदा के कृत्य से जोड़ना, जो वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से विरोधाभासी है।**
45	**प्रमाण**	**नमाज़ को सार्वभौमिक नैतिकता का एकमात्र उपाय मानना, जबकि अन्य धार्मिक और दार्शनिक पद्धतियाँ भी इस कार्य को प्राप्त करने में सहायक हैं।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में धार्मिक विश्वासों और कृत्यों को बिना वैज्ञानिक प्रमाण या तर्क के प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के सिद्धांत, जैसे प्रमेय और प्रमाण, का पालन इन आयतों में नहीं किया गया है। आयत 44 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को केवल ख़ुदा के द्वारा नियंत्रित किया गया है, जबकि आयत 45 में नमाज़ को सभी के लिए नैतिक सुधार का एकमात्र उपाय माना गया है, जो अन्य दृष्टिकोणों के खिलाफ है।

आयत 46

आयत का अनुवाद:
"और (ऐ इमानदारों) एहले किताब से मनाज़िरा न किया करो मगर उमदा और शाएस्ता अलफाज़ व उनवान से लेकिन उनमें से जिन लोगों ने तुम पर ज़ुल्म किया (उनके साथ रिआयत न करो) और साफ़ साफ़ कह दो कि जो किताब हम पर नाज़िल हुयी और जो किताब तुम पर नाज़िल हुयी है हम तो सब पर इमान ला चुके और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी के फरमाबरदार हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह कहती है कि मुसलमानों को एहले किताब (यहूदियों और ईसाइयों) से बहस करते समय अच्छे और शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और जो किताब हम पर और तुम पर नाज़िल हुई है, उसमें विश्वास रखते हैं क्योंकि हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत का तर्क यह है कि मुसलमानों को एहले किताब से बहस करते समय सद्भावना और शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। हालांकि, यह तर्क केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से लिया गया है और इसमें अन्य धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश नहीं किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह आयत केवल मुसलमानों और अहले किताब के बीच के संवाद को नियंत्रित करने के लिए है, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति यह तर्क सार्वभौमिक नहीं है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन, जैसे वेदांत और सांख्य योग, में भी विभिन्न आस्थाएँ हैं, जो अन्य धर्मों के साथ संवाद के समय समान सम्मान और तर्क की आवश्यकता पर बल देती हैं। हालांकि, यह आयत केवल मुस्लिम-यहूदी-ईसाई संवाद को नियंत्रित करती है, और किसी अन्य धार्मिक संवाद को नहीं समाहित

करती है।

- **उपनय (Application):**
 न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि किसी भी संवाद या बहस में तर्क और प्रमाण का महत्व होता है, और इसे शिष्ट और सम्मानजनक तरीके से किया जाना चाहिए। परंतु इस आयत में संवाद की शिष्टता पर बल देने का तर्क विशेष रूप से इस्लाम और अन्य 'धार्मिक' समुदायों के बीच ही सीमित है, और यह तर्क सभी मानव समाजों और धार्मिक संवादों पर लागू नहीं होता।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में तर्क की सीमितता है, क्योंकि इसका आवेदन केवल एक विशेष धार्मिक समुदाय तक सीमित है, और यह सार्वभौमिक संवाद और तर्क के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। न्याय दर्शन में तर्क और प्रमाण की स्वतंत्रता आवश्यक है, और यह आयत केवल एक विशेष समुदाय पर लागू होती है।

आयत 47

आयत का अनुवाद:
"और (ऐ रसूल जिस तरह अगले पैग़म्बरों पर किताबें उतारी) उसी तरह हमने तुम्हारे पास किताब नाज़िल की तो जिन लोगों को हमने (पहले) किताब अता की है वह उस पर भी इमान रखते हैं और (अरबो) में से बाज़ वह हैं जो उस पर इमान रखते हैं और हमारी आयतों के तो बस पक्के कट्टर काफ़िर ही मुनकिर है।"

चुना गया न्याय तत्व:
 प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में कहा गया है कि जैसे पहले के पैग़म्बरों पर किताबें उतारी गईं, उसी प्रकार कुरआन भी एक किताब है, और कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ लोग उसे नकारते हैं।

- **हेतु (Reason):**
 यह आयत अपने आप में एक तथ्यात्मक दावा करती है, कि किताबें पहले भी उतारी गईं और लोग उनमें विश्वास करते थे। यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों पर आधारित है, लेकिन यह तर्क तब असमर्थित हो जाता है जब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। कोई ऐतिहासिक

प्रमाण नहीं है जो यह साबित करता हो कि सभी पुराने धर्मग्रंथों को ईश्वर ने भेजा था या सभी लोगों ने उन पर विश्वास किया था।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में अनेक धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख है जैसे वेद, उपनिषद, और भगवद गीता, जिनमें भिन्न-भिन्न दार्शनिक विचारधाराएँ हैं। इन विचारों को सार्वभौमिक रूप से नहीं माना गया था, बल्कि ये विशेष समाजों या विचारधाराओं तक सीमित थे।

- **उपनय (Application):**
  न्याय दर्शन में प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी दावे का प्रमाण और तर्क पर आधारित होना आवश्यक है। इस आयत का दावा कि कुछ लोग कुरआन पर विश्वास करते हैं और कुछ नहीं, बिना किसी ऐतिहासिक या अनुभवजन्य प्रमाण के किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह केवल विश्वास के आधार पर सत्यता का दावा करती है, और इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत करती। इसके अलावा, इसे धार्मिक दृष्टिकोण से प्रमाणित किया गया है, जो न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत से असंगत है।

आयत 48

आयत का अनुवाद:
"और (ऐ रसूल) कुरआन से पहले न तो तुम कोई किताब ही पढ़ते थे और न अपने हाथ से तुम लिखा करते थे ऐसा होता तो ये झूठे ज़रुर (तुम्हारी नबुवत में) शक करते।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह दावा करती है कि यदि पैग़म्बर पहले से कोई किताब पढ़ते या लिखते, तो लोग उनकी नबुवत पर शक करते।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क इस आधार पर है कि अगर पैग़म्बर शिक्षित होते, तो उनके द्वारा घोषित किए गए संदेश को लोग संदिग्ध मानते। हालांकि, यह तर्क केवल इस्लामी विश्वास पर आधारित है और इसे अन्य धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो यह बिना प्रमाण के एक सामान्य विश्वास मात्र प्रतीत होता है।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से वेदांत में, ज्ञान प्राप्ति के कई मार्ग होते हैं, और यह जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को लिखा-पढ़ा होना चाहिए ताकि वह सत्य का साक्षात्कार कर सके। ज्ञान की प्राप्ति तात्त्विक और ध्यान के माध्यम से भी होती है, न कि केवल पुस्तकीय शिक्षा से।

- **उपनय (Application):**
  न्याय दर्शन के तहत, किसी भी दावे का समर्थन प्रमाणों और तर्कों के आधार पर किया जाता है। यह आयत केवल एक दार्शनिक विश्वास पर आधारित है, बिना इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए बिना।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत का दावा तर्क और प्रमाण के अभाव में प्रस्तुत किया गया है, और यह केवल एक विशेष विश्वास पर आधारित है। न्याय दर्शन के प्रमेय और प्रमाण सिद्धांतों के अनुसार यह दृष्टिकोण अप्रमाणित और तर्कसंगत दृष्टिकोण से कमजोर है।

आयत 49

आयत का अनुवाद:
"मगर जिन लोगों को (ख़ुदा की तरफ से) इल्म अता हुआ है उनके दिल में ये (कुरआन) वाजेए व रौशन आयतें हैं और सरकशी के सिवा हमारी आयतो से कोई इन्कार नहीं करता।"

चुना गया न्याय तत्व:
विपरीत (Contradiction)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में कहा गया है कि जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके दिल में कुरआन की आयतें स्पष्ट हैं, और केवल अहंकार वाले लोग ही इन आयतों का इनकार करते हैं।

- **हेतु (Reason):**
 यह तर्क दावा करता है कि केवल विद्वान लोग ही कुरआन की सत्यता को समझ सकते हैं, जबकि अन्य लोग केवल अहंकार के कारण इसे नकारते हैं। लेकिन, यह तर्क विभिन्न ज्ञान और विश्वास प्रणाली को नकारता है, जो तर्कसंगत दृष्टिकोण से ठीक नहीं है।

- **उदाहरण (Example):**
 भारतीय दर्शन में कई आस्थाएँ हैं, और यह माना जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग भिन्न-भिन्न हो सकता है। हर व्यक्ति का ज्ञान अपने अनुभव और परिपेक्ष्य पर आधारित होता है, और यह किसी एक विशेष दृष्टिकोण से सच्चाई का निर्धारण नहीं करता।

- **उपनय (Application):**
 यह आयत तर्क के आधार पर किसी भी व्यक्ति के ज्ञान की सत्यता का निर्धारण करती है, जबकि न्याय दर्शन में सभी प्रमाणों और तर्कों की स्वतंत्रता को माना जाता है। यह दृष्टिकोण किसी भी अन्य ज्ञान प्रणाली को नकारता है, जो न्याय दर्शन के विपरीत है।

- **निगमन (Conclusion):**
 यह आयत तर्क के आधार पर ज्ञान के सत्य को निर्धारित करने के बजाय केवल एक विशेष धार्मिक दृष्टिकोण से सत्यता का दावा करती है, जो विपरीत और अप्रमाणित है। न्याय दर्शन में किसी भी विचार या दृष्टिकोण की सत्यता प्रमाणों और तर्कों के आधार पर होती

है, न कि केवल विश्वास के आधार पर।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
46	हेतु	यह आयत केवल एक धार्मिक संवाद पर केंद्रित है, और इसे सार्वभौमिक

		रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
47	प्रमेय	यह आयत ऐतिहासिक और दार्शनिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, केवल विश्वास पर आधारित है।
48	हेतु	यह तर्क केवल एक विशेष धार्मिक विश्वास पर आधारित है, अन्य दृष्टिकोणों के खिलाफ।
49	विपरीत	यह आयत केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से सत्यता का दावा करती है, जो न्याय दर्शन के विपरीत है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में अधिकतर तर्क एक विशेष धार्मिक विश्वास प्रणाली पर आधारित हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और न्याय दर्शन के प्रमेय सिद्धांत से मेल नहीं खातीं। इन आयतों में केवल विश्वास और धार्मिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है, लेकिन इनका तार्किक और प्रमाणिक आधार कमजोर है।

आयत 50

आयत का अनुवाद:
"और (कुफ़्फ़ार अरब) कहते हैं कि इस (रसूल) पर उसके परवरदिगार की तरफ़ से मौजिज़े क्यों नहीं नाज़िल होते? (ऐ रसूल उनसे) कह दो कि मौजिज़े तो बस ख़ुदा ही के पास हैं और मैं तो सिर्फ़ साफ़ साफ़ (अज़ाबे ख़ुदा से) डराने वाला हूँ।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह दावा करती है कि लोग पैग़म्बर से यह सवाल करते हैं कि उनके पास ईश्वर की ओर से चमत्कारी चिह्न (मौजिज़े) क्यों नहीं हैं। जवाब में, पैग़म्बर बताते हैं कि मौजिज़े केवल ईश्वर के पास हैं, और वह केवल लोगों को डराने और चेतावनी देने के लिए भेजे गए हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क बताता है कि पैग़म्बर केवल चेतावनी देने वाले हैं, और मौजिज़े (चमत्कारी चिह्न) केवल ईश्वर के पास हैं। हालांकि, यह तर्क किसी व्यापक तात्त्विक या तर्कसंगत आधार पर आधारित नहीं है, बल्कि यह धार्मिक विश्वास पर आधारित है कि केवल ईश्वर के पास मौजिज़े होते हैं। न्याय दर्शन में, यह तर्क सशक्त नहीं है, क्योंकि इसे वैज्ञानिक या तार्किक दृष्टिकोण से कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता।

- **उदाहरण (Example):**
  भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से सांख्य योग और वेदांत में, किसी भी आध्यात्मिक या दार्शनिक अनुभव को तर्क और प्रमाण से समझने की कोशिश की जाती है। चमत्कारी घटनाओं या प्रतीकों को मान्यता देने से पहले उन पर व्याख्यात्मक और प्रमाणिक विचार की आवश्यकता होती है, जबकि इस आयत में केवल विश्वास और ईश्वर के चमत्कारों का उल्लेख किया गया है।

- **उपनय (Application):**
  न्याय दर्शन में, किसी भी दावे का समर्थन प्रमाण और तर्क पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर जो तर्क प्रस्तुत किया गया है, वह केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें कोई तार्किक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे को सत्य ठहराने के लिए प्रमाण और तर्क का होना आवश्यक है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में केवल धार्मिक विश्वास का उल्लेख किया गया है, जिसमें ईश्वर के चमत्कारी चिह्नों का विश्वास बिना किसी प्रमाण के किया गया है। न्याय दर्शन के तर्क और प्रमाण सिद्धांत से यह आयत कमजोर है, क्योंकि यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित है और अन्य दृष्टिकोणों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

सारणी (आयत का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
50	**हेतु**	**यह आयत केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है और इसमें किसी वैज्ञानिक या तर्कसंगत प्रमाण का अभाव है।**

समग्र निष्कर्ष:

इस आयत में दी गई व्याख्या एक विशिष्ट धार्मिक दृष्टिकोण को स्वीकार करती है, जिसमें चमत्कार और मौजिज़ों का अस्तित्व केवल ईश्वर के पास होने का दावा किया जाता है। हालांकि, यह तर्क न्याय दर्शन के प्रमेय सिद्धांत से मेल नहीं खाता, क्योंकि इसे किसी तर्कसंगत या वैज्ञानिक प्रमाण द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। यह केवल एक विश्वास आधारित विचार है, जो अन्य दृष्टिकोणों से अवैध है।

आयत 51

आयत का अनुवाद:
"क्या उनके लिए ये काफ़ी नहीं कि हमने तुम पर कुरआन नाज़िल किया जो उनके सामने पढ़ा जाता है? इसमें शक नहीं कि इमानदार लोगों के लिए इसमें (ख़ुदा की बड़ी) मेहरबानी और (अच्छी ख़ासी) नसीहत है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत यह दावा करती है कि कुरआन के नाज़िल होने के रूप में ईश्वर की मेहरबानी और नसीहत है, जो ईमानदारों के लिए एक बहुत बड़ी कृपा है।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में कहा गया है कि कुरआन में ईश्वर की मेहरबानी और नसीहत है, लेकिन यह तर्क बिना किसी प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन में, किसी भी दावे को साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर सत्यापित किया जाता है। इस आयत में कोई अनुभवजन्य या तर्कसंगत प्रमाण नहीं दिया गया कि कुरआन किसी विशेष रूप में ईश्वर की मेहरबानी है।

- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन में प्रमाण (साक्ष्य) के सिद्धांत का महत्व होता है। अगर किसी विशेष घटना या घटना के परिणाम की सत्यता पर विचार करना हो, तो उसे साक्ष्य या प्रमाण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इस आयत में यह केवल एक विश्वास का बयान है, जो बिना किसी प्रमाण के किया गया है।

- **उपनय (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी धर्म या ग्रंथ के संदेश को पूरी तरह से स्वीकार करने के पहले उसका साक्ष्य और प्रमाण मिलना चाहिए। कुरआन का दावा एक विश्वास पर आधारित है, जिसमें अनुभव या प्रमाण की कमी है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में किसी तात्त्विक या प्रमाणिक आधार पर कुरआन को ईश्वर की मेहरबानी और नसीहत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो न्याय दर्शन के प्रमेय और प्रमाण के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। यह विश्वास आधारित विचार है, जिसमें प्रमाण का अभाव है।

आयत 52

आयत का अनुवाद:
"तुम कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरम्यिान गवाही के वास्ते ख़ुदा ही काफ़ी है जो सारे आसमान व ज़मीन की चीज़ों को जानता है- और जिन लोगों ने बातिल को माना और ख़ुदा से इन्कार किया वही लोग बड़े घाटे में रहेंगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  यह आयत दावा करती है कि ख़ुदा ही दोनों पक्षों के बीच गवाह हैं, और जो लोग ख़ुदा से इन्कार करते हैं वे घाटे में होंगे।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में ख़ुदा को गवाही देने वाला बताया गया है, लेकिन इसका तर्क भी बिना प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन में, कोई भी गवाही और सत्यता का दावा तब तक मान्य नहीं हो सकता जब तक उसे प्रमाणित या साक्ष्य द्वारा पुष्टि न की जाए। इस आयत में जो दावा किया गया है, वह बिना प्रमाण के किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन में किसी भी दावे को प्रमाण और तर्क द्वारा सत्यापित किया जाता है। जैसे कि न्याय के सिद्धांत में गवाही के लिए साक्षी (प्रमाण) की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस आयत में केवल विश्वास और धार्मिक दावे पर बल दिया गया है, न कि कोई प्रमाणिक आधार प्रस्तुत किया गया है।

- **उपनय (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, सत्य का निर्धारण प्रमाण, अनुभव और तर्क के आधार पर किया जाना चाहिए। यहां, केवल धार्मिक विश्वास प्रस्तुत किया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है।

- **निगमन (Conclusion):**
  यह आयत एक विश्वास आधारित दावा प्रस्तुत करती है जिसमें प्रमाण का अभाव है। न्याय दर्शन के सिद्धांत के अनुसार, इस दावे को प्रमाण और तर्क के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 53

आयत का अनुवाद:
"और (ऐ रसूल) तुमसे लोग अज़ाब के नाज़िल होने की जल्दी करते हैं और अगर (अज़ाब का) वक़्त मुअय्यन न होता तो यक़ीनन उन काफ़िरों तक अज़ाब आ जाता और (आख़िर एक दिन) उन पर अचानक ज़रुर आ पड़ेगा और उनको ख़बर भी न होगी।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि लोग अज़ाब की जल्दी करते हैं, और एक दिन वह अचानक उन पर आ जाएगा।

- **हेतु (Reason):**
  यह आयत अनुमानित करती है कि अज़ाब निश्चित रूप से आएगा, लेकिन यह तर्क कोई सार्वभौमिक व्याप्ति नहीं दिखाता। न्याय दर्शन में किसी घटना के समय या रूप का निर्धारण व्याप्ति

के सिद्धांत से होता है, और यह आयत उस सिद्धांत से मेल नहीं खाती।

- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन में हम किसी घटना की व्याप्ति और अनिवार्यता का निर्धारण प्रमाण और अनुभव के आधार पर करते हैं। इस आयत में केवल भविष्य के बारे में अनुमान लगाया गया है, जो व्याप्ति सिद्धांत से मेल नहीं खाता है।

- **उपनय (Application):**
  व्याप्ति का सिद्धांत बताता है कि किसी घटना की व्याप्ति और समय का निर्धारण साक्ष्य और प्रमाण से किया जाता है, न कि केवल अनुमान और भविष्यवाणी से।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में केवल अनुमानित भविष्य की भविष्यवाणी की गई है, जो व्याप्ति सिद्धांत से मेल नहीं खाती। यह दावा अनुभव और प्रमाण से समर्थन नहीं प्राप्त करता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
51	प्रमाण	कुरआन की मेहरबानी को बिना प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है।
52	प्रमाण	ख़ुदा को गवाही देने वाला बताया गया है, लेकिन बिना प्रमाण के।
53	व्याप्ति	अज़ाब की भविष्यवाणी व्याप्ति सिद्धांत से मेल नहीं खाती।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में विभिन्न दावे किए गए हैं, जैसे कि कुरआन को ईश्वर की मेहरबानी और नसीहत के रूप में प्रस्तुत करना, ख़ुदा को गवाह बताना, और अज़ाब की भविष्यवाणी करना। हालांकि, इन सभी दावों में प्रमाण और तर्क का अभाव है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। इन आयतों का आधार विश्वास है, जो तर्कसंगत दृष्टिकोण से अप्रमाणित हैं।

आयत 54

आयत का अनुवाद:
"ये लोग तुमसे अज़ाब की जल्दी करते हैं और ये यक़ीनी बात है कि दोज़ख़ काफ़िरों को (इस तरह) घेर कर रहेगी (कि रुक न सकेंगे)।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में कहा गया है कि काफ़िरों को दोज़ख़ (नर्क) घेर लेगी और वे इससे बच नहीं सकेंगे। यह दावा किया गया है कि यह घटना निश्चित रूप से घटित होगी।

- **हेतु (Reason):**
 यह आयत भविष्य के बारे में दावा करती है कि काफ़िरों को दोज़ख़ से घेर लिया जाएगा और वे उसमें फंसकर रह जाएंगे। न्याय दर्शन के व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, कोई भी भविष्यवाणी या घटना तभी सत्य मानी जा सकती है जब उसे प्रमाण और अनुभव के आधार पर पुष्टि किया जाए। इस आयत में भविष्यवाणी है, लेकिन इसके प्रमाण के लिए कोई तर्क या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
 न्याय दर्शन में व्याप्ति का सिद्धांत बताता है कि किसी घटना की स्थिरता और सत्यता को साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यहां, कोई अनुभव या प्रमाण नहीं दिया गया है कि दोज़ख़ का यह रूप पूरी तरह से सत्य है।

- **उपनय (Application):**
 व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, किसी घटना के घटने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है, न कि केवल भविष्यवाणी या विश्वास पर आधारित दावे की। इस आयत में केवल एक भविष्यवाणी की गई है, जो बिना प्रमाण के प्रस्तुत की गई है।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में काफ़िरों के दोज़ख़ में घेरने का दावा किया गया है, लेकिन यह दावा बिना प्रमाण और तर्क के किया गया है। न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, भविष्यवाणियों को प्रमाण और व्याप्ति से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

आयत 55

आयत का अनुवाद:
"जिस दिन अज़ाब उनके सर के ऊपर से और उनके पाँव के नीचे से उनको ढांके होगा और ख़ुदा (उनसे) फ़रमाएगा कि जो जो कारस्तानियाँ तुम (दुनिया में) करते थे अब उनका मज़ा चखो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह दावा किया गया है कि काफ़िरों को अज़ाब दिया जाएगा और उन्हें उनके कर्मों का परिणाम चखने को मिलेगा।

- **हेतु (Reason):**
  इस आयत में कहा गया है कि काफ़िरों को उनके किए गए कर्मों का परिणाम भोगना होगा। हालांकि, यह दावा भी बिना प्रमाण के किया गया है। न्याय दर्शन में किसी भी घटना या परिणाम का दावा प्रमाणों के आधार पर सत्यापित किया जाता है, और इस आयत में कोई प्रमाण या अनुभव प्रस्तुत नहीं किया गया।

- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन में किसी भी कर्म के परिणाम के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम किसी घटना का परिणाम केवल प्रमाणों और अनुभवों से समझ सकते हैं, वैसे ही इस आयत में कर्मों के परिणाम का दावा बिना किसी प्रमाण के किया गया है।

- **उपनय (Application):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी घटना के सत्यापन के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। बिना प्रमाण के किसी घटना का दावा करना तर्कसंगत नहीं है। यहां, कर्मों का परिणाम बिना किसी प्रमाण के प्रस्तुत किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में काफ़िरों को अज़ाब देने और उनके कर्मों का परिणाम चखाने का दावा किया गया है,

लेकिन इसका कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं दिया गया है। यह दावा केवल विश्वास पर आधारित है और न्याय दर्शन के प्रमेय के सिद्धांत से मेल नहीं खाता।

आयत 56

आयत का अनुवाद:
"ऐ मेरे ईमानदार बन्दों मेरी ज़मीन तो यक़ीनन कुषादा है तो तुम मेरी ही इबादत करो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि ईश्वर की ज़मीन कुषादा (व्याप्त) है, और इस पर इबादत करनी चाहिए।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा ईश्वर की ज़मीन के बारे में किया गया है कि यह व्याप्त है, लेकिन इस कथन का कोई प्रमाण या अनुभव नहीं दिया गया है। न्याय दर्शन में प्रमाण के बिना कोई भी दावा प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी दावा को प्रमाण और तर्क के आधार पर सत्यापित किया जाता है। इस आयत में ईश्वर की ज़मीन की व्याप्ति का दावा किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उपनय (Application):**
  न्याय दर्शन के प्रमेय के अनुसार, जब तक कोई दावा प्रमाण और तर्क से समर्थन नहीं प्राप्त करता, तब तक उसे सत्य नहीं माना जा सकता। यहां, यह दावा केवल विश्वास पर आधारित है और इसमें प्रमाण का अभाव है।

- **निगमन (Conclusion)**:
  इस आयत में ईश्वर की ज़मीन के व्याप्त होने का दावा किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह दावा केवल विश्वास आधारित है और न्याय दर्शन के सिद्धांत से मेल नहीं खाता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
54	**व्याप्ति**	**भविष्यवाणी का प्रमाण और व्याप्ति का अभाव है।**
55	**प्रमाण**	**कर्मों के परिणाम का दावा प्रमाणित नहीं किया गया है।**
56	**प्रमाण**	**ईश्वर की ज़मीन के व्याप्ति का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में भविष्यवाणियों और ईश्वर के कथित आदेशों का दावा किया गया है, लेकिन ये सभी दावे बिना प्रमाण और तर्क के प्रस्तुत किए गए हैं। न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी घटना, भविष्यवाणी या दावे को प्रमाण और तर्क के आधार पर सत्यापित किया जाना चाहिए। इन आयतों में केवल विश्वास और धार्मिक दावों पर जोर दिया गया है, जो तर्कसंगत दृष्टिकोण से अप्रमाणित हैं।

आयत 57

आयत का अनुवाद:
"हर शख़्स (एक न एक दिन) मौत का मज़ा चखने वाला है फिर तुम सब आख़िर हमारी ही तरफ़ लौटाए जाओगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और फिर सब को ईश्वर की ओर लौटाया जाएगा।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में किया गया है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से सत्य हो सकता है, लेकिन न्याय दर्शन के व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, किसी भी भविष्यवाणी या दावे का सत्यापन प्रमाणों और अनुभवों के आधार पर किया जाना चाहिए। यहाँ, भविष्यवाणी की गई घटना को बिना किसी प्रमाण या अनुभव के सत्य माना जा रहा है।

- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन में, किसी घटना का सत्यापन केवल प्रमाण और अनुभव से किया जा सकता है। मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं दिया गया है।

- **उपनय (Application):**
  व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, किसी घटना का सत्यापन करने के लिए प्रमाण आवश्यक होते हैं, और यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में दावा किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह केवल एक भविष्यवाणी पर आधारित है और इसे सत्यापित करना कठिन है।

आयत 58

आयत का अनुवाद:
"और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उनको हम बेहेश्त के झरोखों में जगह देगें जिनके नीचे नहरें जारी हैं जिनमें वह हमेशा रहेंगे (अच्छे चलन वालो की भी क्या ख़ूब ख़री मज़दूरी है)।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि ईमानदार और अच्छे काम करने वालों को स्वर्ग में स्थान मिलेगा।
- **हेतु (Reason):**
  यह दावा कि अच्छे कार्य करने वालों को स्वर्ग मिलेगा, न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत के अनुसार, साक्ष्य की आवश्यकता है। स्वर्ग और नरक का दावा सामान्य अनुभवों से परे है और केवल विश्वास पर आधारित है।
- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत के अनुसार, किसी भी घटना को प्रमाणित करने के लिए तर्क और अनुभव का होना आवश्यक है। यहाँ, स्वर्ग और नरक के बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।
- **उपनय (Application):**
  किसी भी धार्मिक या दार्शनिक दावे को प्रमाण और तर्क से ही प्रमाणित किया जा सकता है। यहाँ, स्वर्ग और नरक का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में अच्छे कार्यों के बदले स्वर्ग में स्थान मिलने का दावा किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, इसलिए यह दावा केवल विश्वास पर आधारित है।

आयत 59

आयत का अनुवाद:
"जिन्होंने (दुनिया में मुसिबतों पर) सब्र किया और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि जो लोग मुसिबतों पर सब्र करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन्हें इनाम मिलेगा।

- **हेतु (Reason):**
 यहाँ, सब्र और ईश्वर पर भरोसा रखने का विचार किया गया है। यह एक सामान्य धार्मिक सिद्धांत है, लेकिन इसे प्रमाण और तर्क से साबित करना कठिन है, क्योंकि यह एक आंतरिक विश्वास है जो सामान्य अनुभवों से परे है।

- **उदाहरण (Example):**
 न्याय दर्शन के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाणित करने के लिए तर्क और अनुभव का होना आवश्यक है। यहाँ, सब्र और विश्वास के बारे में कोई तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है।

- **उपनय (Application):**
 विश्वास और आस्थाएँ व्यक्तिगत होती हैं, लेकिन तर्क और प्रमाण के बिना कोई सिद्धांत या दावे को सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करना न्यायसंगत नहीं है।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में सब्र और ईश्वर पर भरोसा रखने का दावा किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह दावा केवल व्यक्तिगत विश्वासों पर आधारित है।

आयत 60

आयत का अनुवाद:
"और ज़मीन पर चलने वालों में बहुतेरे ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी अपने ऊपर लादे नहीं फिरते ख़ुदा ही उनको भी रोज़ी देता है और तुम को भी और वह बड़ा सुनने वाला वाक़िफकार है।"

चुना गया न्याय तत्व:
 व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में कहा गया है कि जो लोग खुद मेहनत नहीं करते, उन्हें भी ईश्वर रोज़ी देता है।

- **हेतु (Reason):**
 यह दावा कि ईश्वर सभी को रोज़ी देता है, न्याय दर्शन के व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, बिना प्रमाण

के किया गया है। रोज़ी का वितरण पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में है, यह एक विश्वास आधारित दावा है।

- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन के अनुसार, व्याप्ति का सिद्धांत किसी घटना की स्थिरता और सत्यता को साक्ष्य और अनुभव के आधार पर प्रमाणित करता है। यहाँ, इस दावे के लिए कोई अनुभव नहीं प्रस्तुत किया गया है।

- **उपनय (Application):**
  इस आयत का दावा बिना साक्ष्य के किया गया है। व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, इसे प्रमाणित करना कठिन है क्योंकि इसे साक्ष्य और अनुभव द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में रोज़ी के वितरण का दावा किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं है। यह दावा केवल विश्वास पर आधारित है।

आयत 61

आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) अगर तुम उनसे पूछो कि (भला) किसने सारे आसमान व ज़मीन को पैदा किया और चाँद और सूरज को काम में लगाया तो वह ज़रुर यही कहेंगे कि अल्लाह ने फिर वह कहाँ बहके चले जाते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि अगर पूछा जाए तो लोग ईश्वर को ही सृष्टि का निर्माता मानते हैं, लेकिन फिर वे भ्रमित होते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा कि लोग ईश्वर को सृष्टि का निर्माता मानते हैं, एक सामान्य धार्मिक दृष्टिकोण है, लेकिन

इसे प्रमाण और तर्क से प्रमाणित नहीं किया गया है। न्याय दर्शन में केवल अनुभव और प्रमाणों से किसी दावे को सत्य साबित किया जा सकता है।

- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाण और अनुभव से सत्यापित करना आवश्यक होता है। इस आयत में कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है।

- **उपनय (Application):**
  इस आयत का दावा बिना प्रमाण और अनुभव के किया गया है। न्याय दर्शन के सिद्धांत के अनुसार, इसे सत्यापित करने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में धार्मिक दृष्टिकोण का दावा किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं है। यह केवल विश्वास पर आधारित है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
57	व्याप्ति	भविष्यवाणी का प्रमाण और व्याप्ति का अभाव है।
58	प्रमाण	स्वर्ग का दावा प्रमाणित नहीं किया गया है।
59	प्रमाण	सब्र और विश्वास का दावा प्रमाणित नहीं किया गया है।
60	व्याप्ति	रोज़ी के वितरण का दावा बिना प्रमाण के किया गया है।
61	प्रमाण	ईश्वर के निर्माण का दावा प्रमाणित नहीं किया गया है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में भविष्यवाणियाँ, धार्मिक दृष्टिकोण और विश्वास आधारित दावे किए गए हैं, लेकिन इनमें कोई प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी घटना या

दावे को प्रमाण और तर्क से सत्यापित किया जाना चाहिए। इन आयतों में केवल विश्वास और धार्मिक दावों पर जोर दिया गया है, जो तर्कसंगत दृष्टिकोण से अप्रमाणित हैं।

आयत 64

आयत का अनुवाद:
"और ये दुनिया की ज़िन्दगी तो खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं और मगर ये लोग समझें बूझें तो इसमें शक नहीं कि अबदी ज़िन्दगी (की जगह) तो बस आख़ेरत का घर है (बाक़ी लग़ो)।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में दुनिया की ज़िन्दगी को केवल खेल तमाशा कहा गया है, जबकि असली और शाश्वत जीवन केवल परलोक का है।

- **हेतु (Reason):**
  यह विचार कि दुनिया की ज़िन्दगी का कोई स्थायित्व नहीं है और केवल परलोक का जीवन सच्चा है, न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत से सही साबित नहीं होता। दुनिया की वास्तविकता और मूल्य को महसूस करने के लिए तर्क, प्रमाण और अनुभव आवश्यक हैं। यहाँ परलोक के अस्तित्व और असलियत का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **उदाहरण (Example):**
  न्याय दर्शन में, किसी दावे को प्रमाणित करने के लिए तर्क और अनुभव का होना आवश्यक है। इस आयत में परलोक के अस्तित्व का दावा किया गया है, लेकिन इसका कोई भौतिक या वास्तविक प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **उपनय (Application):**
  यह दावा बिना प्रमाण के किया गया है। व्याप्ति सिद्धांत के अनुसार, यदि हम किसी वस्तु या घटना को वास्तविकता मानते हैं, तो उसका प्रमाण होना चाहिए। यहाँ, परलोक के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में परलोक के अस्तित्व को सत्य माना गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। यह दावा केवल विश्वास पर आधारित है।

आयत 65

आयत का अनुवाद:
"फिर जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं तो निहायत ख़ुलूस से उसकी इबादत करने वाले बन कर ख़ुदा से दुआ करते हैं फिर जब उन्हें खुश्की में (पहुँचा कर) नजात देता है तो फौरन शिर्क करने लगते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
हैतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में कहा गया है कि लोग खतरे की स्थिति में ख़ुदा को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें राहत मिलती है, वे शिर्क (दूसरे देवी देवताओं को पूजना) करने लगते हैं।

- **हेतु (Reason):**
 यह उदाहरण एक मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन इसका कोई तर्क या स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है कि लोग राहत मिलने पर शिर्क क्यों करते हैं। तर्क और प्रमाण के अभाव में यह मात्र एक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण है।

- **उदाहरण (Example):**
 जब लोग कठिनाई में होते हैं, तो वे किसी एक उच्च शक्ति को याद करते हैं, लेकिन राहत मिलने के बाद फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। यह व्यवहार मानव स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन इसे तर्क या प्रमाण से नहीं जोड़ा गया।

- **उपनय (Application):**
 यह आयत मानवीय स्वभाव पर आधारित है, लेकिन इसके पीछे कोई स्पष्ट तर्क नहीं दिया गया है कि क्यों लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, हर घटना या व्यवहार का कोई

कारण होना चाहिए, जिसे प्रमाणित किया जा सके।

- **निगमन (Conclusion):**
 इस आयत में मानव स्वभाव का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका कोई तर्क या प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। यह केवल एक सामान्य मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

आयत 66

आयत का अनुवाद:
"ताकि जो (नेअमतें) हमने उन्हें अता की हैं उनका इन्कार कर बैठें और ताकि (दुनिया में) ख़ूब चैन कर लें तो अनक़रीब ही (इसका नतीजा) उन्हें मालूम हो जाएगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
 इस आयत में कहा गया है कि लोग भगवान की दी हुई नेमतों का इन्कार कर देते हैं, और इसका परिणाम अंत में बुरा होगा।

- **हेतु (Reason):**
 यह दावा किया गया है कि लोग ईश्वर की दी हुई नेमतों का इन्कार करते हैं और फिर इसका परिणाम भुगतते हैं। लेकिन यह कारण केवल एक सामान्य मानसिक स्थिति को दर्शाता है, इसका कोई तर्क या प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया।

- **उदाहरण (Example):**
 जब लोग किसी आशीर्वाद या नेमत का इन्कार करते हैं, तो उनका परिणाम भुगतना पड़ता है। यह एक सामान्य दृष्टिकोण है, लेकिन इसका तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया।

- **उपनय (Application):**
 यह आयत सिर्फ एक मानसिक स्थिति और इसके परिणाम के बारे में है, लेकिन इसके कारण या तर्क को स्पष्ट नहीं किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी घटना या स्थिति का कोई ठोस

कारण और प्रमाण होना चाहिए।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में दी हुई नेमतों का इन्कार करने के परिणाम का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। यह केवल विश्वास पर आधारित है और इसका कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
64	प्रमाण	परलोक के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है।
65	हैतु	शिर्क करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।
66	हैतु	नेमतों का इन्कार करने का परिणाम केवल विश्वास पर आधारित है, प्रमाण नहीं।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में भी धार्मिक दृष्टिकोण और मानवीय स्वभाव पर आधारित दावे किए गए हैं, लेकिन इन दावों का कोई प्रमाण या तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी दावे को प्रमाण और तर्क से सत्यापित किया जाना चाहिए। ये आयतें केवल विश्वास और सामान्य धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जो कि तर्क और प्रमाण से प्रमाणित नहीं हैं।

आयत 67

आयत का अनुवाद:
"क्या उन लोगों ने इस पर ग़ौर नहीं किया कि हमने हरम (मक्का) को अमन व इत्मेनान की जगह बनाया हालाँकि उनके गिर्द व नवाह से लोग उचक ले जाते हैं तो क्या ये लोग झूठे माबूदों पर ईमान लाते हैं और ख़ुदा की नेअमत की नाशुक्री करते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि मक्का को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान बनाने की नेमत को लोग भूलकर झूठे देवताओं की पूजा करते हैं और ख़ुदा की नेअमत की नाशुक्री करते हैं।

- **हेतु (Reason):**
  यह दावा किया गया है कि ख़ुदा ने मक्का को शांति का स्थान बनाया, और इसके बावजूद लोग झूठे देवताओं को पूजते हैं, यह तर्क के लिहाज़ से गलत है। शांति और सुरक्षा की स्थिति का दावा प्रमाण के बिना किया गया है। मक्का की शांति की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए किसी ऐतिहासिक या भौतिक तर्क की आवश्यकता थी।

- **उदाहरण (Example):**
  इस उदाहरण में मक्का की शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह दावा बिना किसी भौतिक प्रमाण के किया गया है। इसके विपरीत, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह देखा जा सकता है कि मक्का में समय-समय पर अस्थिरता और संघर्ष होते रहे हैं।

- **उपनय (Application):**
  आयत का उद्देश्य यह बताना है कि लोग ख़ुदा की दी हुई नेमतों की कद्र नहीं करते, लेकिन इस नेमत का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। न्याय दर्शन में प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है, जिसे यहाँ अनुपस्थित पाया गया है।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में मक्का की शांति और सुरक्षा का दावा किया गया है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक या भौतिक प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ विश्वास पर आधारित है और तर्क से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 68

आयत का अनुवाद:
"और जो शख़्स ख़ुदा पर झूठ बोहतान बांधे या जब उसके पास कोई सच्ची बात आए तो झुठला दे, इससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा? क्या (इन) काफ़िरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं है (ज़रुर है)।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में यह कहा गया है कि जो लोग ख़ुदा पर झूठा आरोप लगाते हैं या सत्य को झूठलाते हैं, वे सबसे बड़े ज़ालिम हैं, और उनका ठिकाना निश्चित रूप से जहन्नुम है।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क दिया गया है कि झूठ बोलने और सत्य को झूठलाने वाले लोग अत्याचारी हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है। हालांकि, यह तर्क सिर्फ विश्वास पर आधारित है और इसके लिए कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन में यह आवश्यक है कि कोई भी न्यायिक निर्णय प्रमाणों और तर्कों पर आधारित हो, न कि केवल विश्वास पर।

- **उदाहरण (Example):**
  जब लोग किसी सत्य को झूठलाते हैं या झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, तो उन्हें बुरे परिणाम भुगतने होते हैं, जैसे कि इस आयत में जहन्नुम की चेतावनी दी गई है। यह उदाहरण है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि झूठ बोलने से सचमुच जहन्नुम में जाना होगा।

- **उपनय (Application):**
  आयत में झूठ बोलने और सत्य को नकारने के परिणाम के रूप में जहन्नुम का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी दावे का प्रमाण होना चाहिए।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में झूठ बोलने और सत्य को नकारने का परिणाम केवल विश्वास पर आधारित है, बिना प्रमाण या तर्क के। न्याय दर्शन के अनुसार, इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 69

आयत का अनुवाद:
"और जिन लोगों ने हमारी राह में जिहाद किया, उन्हें हम ज़रुर अपनी राह की हिदायत देंगे और इसमें शक नहीं कि ख़ुदा नेकोकारों का साथी है।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Proposition):**
  इस आयत में कहा गया है कि जो लोग ख़ुदा के रास्ते में संघर्ष करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा, और ख़ुदा उनके साथ होगा।

- **हेतु (Reason):**
  यह तर्क दिया गया है कि जो लोग ख़ुदा की राह में संघर्ष करते हैं, उन्हें ख़ुदा की हिदायत मिलती है। यह तर्क केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है और इसका कोई भौतिक या तार्किक प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन में कोई भी दावा तर्क और प्रमाण के बिना पूर्ण नहीं माना जाता।

- **उदाहरण (Example):**
  जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए संघर्ष करता है, तो उसे उस संघर्ष में सफलता प्राप्त करने की उम्मीद होती है। हालांकि, यह केवल एक सामान्य विचार है और इसका कोई प्रमाण या भौतिक आधार नहीं है।

- **उपनय (Application):**
  आयत का उद्देश्य यह दिखाना है कि संघर्ष करने वाले लोग हिदायत प्राप्त करेंगे, लेकिन इसका कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है कि संघर्ष करने से वास्तविक रूप से हिदायत प्राप्त होती है। न्याय दर्शन में प्रमाण के बिना ऐसे दावे को मान्यता नहीं दी जा सकती।

- **निगमन (Conclusion):**
  इस आयत में संघर्ष करने वालों को हिदायत मिलने की बात की गई है, लेकिन इसका कोई प्रमाण या तर्क नहीं दिया गया है। यह केवल विश्वास पर आधारित दावा है, जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
67	प्रमाण	मक्का की शांति का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।
68	हैतु	झूठ बोलने और सत्य को नकारने का परिणाम विश्वास पर आधारित है, प्रमाण नहीं।
69	व्याप्ति	संघर्ष करने से हिदायत मिलने का दावा बिना प्रमाण के है।

समग्र निष्कर्षः

इन आयतों में कुछ धार्मिक दावे किए गए हैं, जैसे कि मक्का की शांति, झूठ बोलने और सत्य को नकारने का परिणाम, और संघर्ष करने वालों को हिदायत मिलने का दावा। इन दावों का कोई प्रमाण या तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है और ये केवल विश्वास पर आधारित हैं। न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी दावे का प्रमाण और तर्क होना चाहिए, जिसे इन आयतों में अनुपस्थित पाया गया है।